अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष- 43, अंक- 10, 1-15 जनवरी 2020

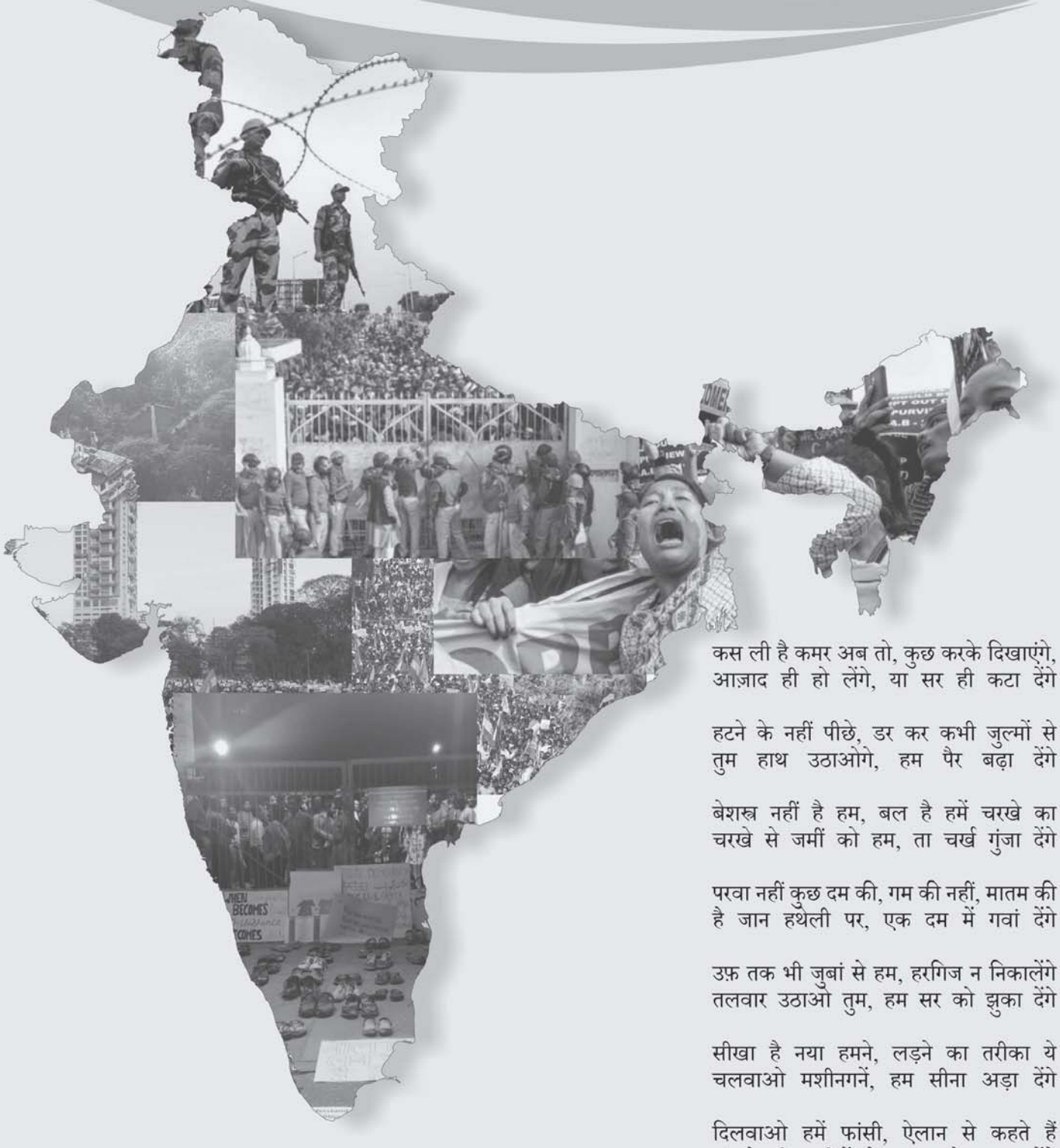

कस ली है कमर अब तो, कुछ करके दिखाएंगे,
आज़ाद ही हो लेंगे, या सर ही कटा देंगे

हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से
तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे

बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का
चरखे से जमीं को हम, ता चर्ख गुंजा देंगे

परवा नहीं कुछ दम की, गम की नहीं, मातम की
है जान हथेली पर, एक दम में गवां देंगे

उफ़ तक भी जुबां से हम, हरगिज न निकालेंगे
तलवार उठाओ तुम, हम सर को झुका देंगे

सीखा है नया हमने, लड़ने का तरीका ये
चलवाओ मशीनगनें, हम सीना अड़ा देंगे

दिलवाओ हमें फांसी, ऐलान से कहते हैं
खूं से ही शहीदों के, हम फ़ौज बना देंगे

-अशफाकउल्ला खां

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 43, अंक : 10, 01-15 जनवरी 2020

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. इस पागलपन से छुटकारा पाना ही होगा... 3
3. जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने... 4
4. सर्व सेवा संघ का बयान... 6
5. यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन... 7
6. अब सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हैं... 8
7. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं... 9
8. एंटी नेशनल है यह मिसएडवेंचर... 11
9. प्रताड़ना के चलते भारत आने वालों का... 12
10. भारत में एक भी डिटेंशन सेंटर न होने... 13
11. भारत के राष्ट्रपति के नाम सर्व सेवा संघ... 14
12. धारावाहिक - 'बा'... 15
13. लोक-विमर्श... 17
14. गतिविधियां... 18
15. नये सुभाषित... 19
16. हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन... 20

संपादकीय

नागरिकता संशोधन अधिनियम
धार्मिक भेदभाव का दस्तावेज

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे की एक पृष्ठभूमि है, जिसे समझना आवश्यक है। सन् 1947 में भारत के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान बना, उसके दो हिस्से थे। एक पूर्वी पाकिस्तान तथा दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। सन् 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर एक प्रकार से हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की एसेम्बली के चुनाव में मुजीबुर्रहमान की पार्टी को बहुमत मिला था। पश्चिमी पाकिस्तान को यह स्वीकार्य नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई नेता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर उत्पीड़न व दमन चक्र चला। अब वहां की मुक्ति वाहिनी, पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दौर में बड़ी संख्या में भारत में शरणार्थी आये, जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने निर्णय लिया कि भारत की सेना, मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्रता संग्राम का सहयोग करेगी। फलस्वरूप सन् 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। यह याद रखने की बात है कि पंजाबी मुसलमानों के प्रभाव वाली सेना ने, बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार किया था, इस कारण भारत में शरणार्थी आये थे।

शरणार्थियों के आने के कारण असम प्रदेश की जनसंख्या के स्वरूप में भयंकर परिवर्तन हुआ। इसके विरोध में आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बड़ा आंदोलन किया। सन् 1985 में राजीव गांधी सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत यह निर्णय हुआ कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी विदेशी आये हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जायेगी। लेकिन इस काम को करने में कई दशक बीत गये। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (एनआरसी) की अंतिम सूची 2019 में आयी। इसके अनुसार लगभग 19 लाख लोग चिन्हित किये गये, जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी गयी। इन 19 लाख लोगों में लगभग 14 लाख हिन्दू थे।

इसी पृष्ठभूमि में नागरिकता संशोधन अधिनियम बना। इस अधिनियम से पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आये हिन्दू, सिक्ख, पारसी, जैन, बौद्ध व इसाई भारत के नागरिक बन जायेंगे, किन्तु मुस्लिम नहीं। यह कानून उन पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गये थे। ध्यान रहे कि बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना गृहयुद्ध के कारण हुआ था, धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं। अभी भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान व सिंध प्रांतों में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे हैं। भवष्यि में यदि वहां कभी गृहयुद्ध होता है, तो वहां से बड़ी संख्या में पलायन होगा। अफगानिस्तान निरंतर गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहा है।

भारत सरकार के गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा कि यदि भारत का विभाजन न हुआ होता तो इस कानून की जरूरत न पड़ती। यदि ये बात सही है तो इस कानून में पाकिस्तान व बांग्लादेश को ही लाना चाहिए था, अफगानिस्तान को इसमें शामिल करना अनुचित (unreasonable) है। वैसे भारत का विभाजन दो दौर में हुआ। एक बार सन् 1937 में, जब बर्मा (वर्तमान म्यामांर) भारत से अलग हुआ और दूसरी बार सन् 1947 में, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। दोनों विभाजनों का निर्णय ब्रिटिश हुक्मरानों ने लिया था। इसलिए अगर विभाजन इसका आधार है, तो इस ग्रुप में बर्मा, पाकिस्तान व बांग्लादेश को होना चाहिए था। दूसरी बात ऐसे किसी भी बिल में भारत की सीमा से जुड़े सभी पड़ोसी देशों का नाम होना चाहिए। जो देश भारत की सीमा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यही उचित आधार (reasonable criteria) होता। एक अन्य बात, ऐसे किसी बिल में धर्मों के नाम के बजाय, धार्मिक अल्पसंख्यक या जातीय (ethenic) अल्पसंख्यक शब्द जोड़ना चाहिए था। आखिर श्रीलंका से आये तमिल शरणार्थियों को ऐसे कानून का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए?

लोगों के मन में सरकार की नीयत के प्रति संदेह क्यों है? असम में नागरिकता रजिस्टर में शामिल होने के लिए दस्तावेजों को जुटाने में लोगों के पसीने छूट गये। एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है, जो ऐसे दस्तावेज नहीं जुटा पायेगी कि वह भारत की नागरिक हैं। विशेषकर वे मजदूर, जो दूरदराज जाकर अपने जन्मस्थान से कई वर्षों से कटकर अपनी जीविका चला रहे हैं। अब अगर देश भर में एनआरसी लागू होगा, तो वे लोग, जिनके धर्म का जिक्र इस विधेयक में हुआ है, उनके लिए नागरिकता रजिस्टर में नाम डलवाना आसान रहेगा। किन्तु इन धर्मों के अलावा, अन्य धर्म के लोगों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नहीं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इस कारण यह विधेयक भेदभावपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता सूची बनाने में जिन धर्मों का नाम इस विधेयक में शामिल नहीं है, उन धर्मों के लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

–बिमल कुमार

इस पागलपन से छुटकारा पाना ही होगा

❑ महात्मा गांधी

नागरिकता कानून को लेकर देश, खासकर उत्तर-पूर्वी राज्य उबल रहे हैं. सरकार को शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए आखिर सेना को बुलाने का तरीका अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. यही वो सबसे मुफीद वक्त है, जब भारतवासियों को महात्मा गांधी के उस भाषण को पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने 15 नवंबर 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में दिया था. यहां पेश है उसी भाषण के अंश, जिसे 'सम्पूर्ण गांधी वांगमय के 10वें खंड के पृष्ठ 35-38' से लिया गया है। **–सं.**

मैंने करने या मरने की प्रतिज्ञा ली थी. अवसर आने पर सचमुच मैं करूंगा या मर जाऊंगा. मैंने जो कुछ देखा है, उससे इतना समझ गया हूं कि हम सब तो पागल नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनका दिमाग फिर गया है. पागलपन की इस लहर के लिए क्या चीज जिम्मेदार है? कारण कुछ भी हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगर हमने इस पागलपन से छुटकारा नहीं पाया तो जो आजादी हमें मिली है, उससे हम हाथ धो बैठेंगे. आज हम जिस संकट की स्थिति में हैं, उसकी गंभीरता आपको समझनी और स्वीकार करनी चाहिए. आपको अत्यंत गंभीर समस्याओं का सामना करना है और उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना है.

...मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति सच्चे रहें और हिन्दुओं-मुसलमानों में एकता स्थापित करें. यह एकता वह आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए कांग्रेस 60 सालों से भी ज्यादा समय से काम करती रही है. यह आदर्श अभी भी कायम है. कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि वह केवल हिन्दुओं के हितों के लिए ही कार्य करती है. जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है तब से ही वह जिस चीज का दावा करती रही है, क्या उसे छोड़ दें और नया सुर अलापने लगे?

कांग्रेस भारतवासियों का संगठन है, उन सबका अपना संगठन है, जो इस देश में निवास करते हैं, चाहे वे हिन्दू हों, या मुसलमान, ईसाई, सिख या पारसी. मुसलमान, ईसाई और पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं. लेकिन आज हम एक दूसरा ही नारा सुनते हैं. मैं आपको बता दूं कि आज हम जो सुनते हैं, वह कांग्रेस की आवाज नहीं है.

...आज जो कुछ हो रहा है, उससे मैं लज्जित हूं. भारत में ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए. हमें यह बात समझनी होगी कि भारत केवल हिन्दुओं का नहीं है और न पाकिस्तान केवल मुसलमानों का. मैंने हमेशा माना है कि यदि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का ही देश बन गया तो यह ऐसा पाप होगा जो इस्लाम को ही नष्ट कर देगा. इस्लाम ने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी है. अगर हिन्दू, हिन्दुओं की हैसियत से भारत के एक पृथक राष्ट्र होने का दावा करें और मुसलमान पाकिस्तान में ऐसा दावा करें तो यह कभी चल नहीं सकता. सिखों ने भी कभी-कभी सिक्खिस्तान की बात की है. यदि हम ऐसे दावे करेंगे तो भारत और पाकिस्तान दोनों नष्ट हो जाएंगे, कांग्रेस नष्ट हो जाएगी और हम सब नष्ट हो जाएंगे.

मैं मानता हूं कि भारत हिन्दू और मुसलमान, दोनों का है. जो कुछ हुआ, उसके लिए आप मुस्लिम लीग को दोषी ठहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि दो-राष्ट्र का सिद्धान्त इस बुराई की जड़ है, और मुस्लिम लीग ने ही यह विष-बीज बोया था. फिर भी मेरा कहना है कि दूसरों ने बुराई की, केवल इसी कारण हम भी बुराई करें तो हम हिन्दू धर्म के साथ घात करते हैं.

अपने बचपन से ही मैं यह जानता हूं कि हिन्दू धर्म हमें बुराई के बदले भलाई करने की शिक्षा देता है. पापी को उसका पाप ही ले डूबता है. क्या उनके साथ हम भी डूब मरें? हिन्दू धर्म ने मुझे जो सिखाया है, 60 सालों के मेरे अनुभव से उसकी पुष्टि हुई है. इस्लाम भी यही बात कहता है. कांग्रेस का यह बुनियादी सिद्धांत है कि भारत जितना हिन्दुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है. मैं यह भी जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था....

कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों पर जो अत्याचार किए गए हैं, उनसे ज्यादा नृशंस अत्याचार हम यहां मुसलमानों पर करें तो इससे पाकिस्तान के मुसलमानों को एक अच्छा सबक मिलेगा. बेशक उन्हें सबक तो मिल जाएगा, लेकिन इस बीच आपका क्या होगा?

आप कहते हैं कि आप भारत में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि साढ़े तीन करोड़ मुसलमानों को यहां से भगाकर पाकिस्तान पहुंचा देना असंभव है. उन्होंने क्या अपराध किया है? बेशक मुसलिम लीग अपराधी है, लेकिन हर मुसलमान तो दोषी नहीं है. यदि आप उन्हें मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, तो वे पाकिस्तान भाग जाने के अलावा क्या कर सकते हैं? आखिरकार जीवन तो उन्हें प्यारा है ही. लेकिन आपके लिए ऐसा करना उचित नहीं है. इस तरह आप कांग्रेस को बदनाम करेंगे, अपने धर्म को बदनाम करेंगे और राष्ट्र को बदनाम करेंगे.

यदि आप इस बात को समझते हैं कि कुछ मुसलमानों को मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा है, तो उन्हें वापस बुलाना आपका कर्तव्य है. हां, जो मुसलमान पाकिस्तान में विश्वास रखते हैं, और वहीं अपनी खुशी हासिल करना चाहते हैं, वे शौक से जाएं. उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है. उन्हें वहां जाने के लिए सैनिक बलों की सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी. वे अपनी खुशी से और अपने खर्च से वहां जाएंगे. लेकिन जो लोग आज वहां जा रहे हैं, उनके लिए विशेष परिवहन व्यवस्था और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है.

इस प्रकार का अस्वाभाविक देशत्याग, और वह भी कृत्रिम परिस्थितियों में, हमारे लिए शर्म की चीज है. आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि जिन मुसलमानों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े हैं, और जो लौटना चाहते हैं, उनका आपके बीच स्वागत है. आप उन्हें आश्वासन दें कि भारत में वे और उनका धर्म सुरक्षित रहेंगे. ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है. पाकिस्तान कुछ भी करे. आपको मानवीयता और सभ्यता कायम रखनी है. यदि आप वही काम करेंगे जो उचित है , तो देर-सबेर पाकिस्तान को भी आपका अनुसरण करना पड़ेगा. आज जो स्थिति है, उसमें हम दुनिया के सामने अपना मस्तक ऊंचा नहीं रख सकते और हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के कुकर्मों की नकल करने पर मजबूर हुए हैं. और ऐसा करके हमने उसके तौर-तरीकों को उचित ठहराया है.

हम इस तरह कैसे चलते रह सकते हैं? जो कुछ हो रहा है, वह युद्ध के लिए दोनों को भड़काने वाली बात है, और इसका निश्चित परिणाम युद्ध ही होगा. और आपको जवाहरलाल का साथ छोड़ना होगा. यह उन्हीं के कारण है कि आज संसार में हमारी इतनी इज्जत है. भारत से बाहर उनका सम्मान विश्व के एक अत्यंत महान राजनेता के रूप में किया जाता है. अनेक यूरोपीय लोगों ने मुझे बताया है कि संसार ने उन जैसे ऊंचे दिमाग का राजनेता नहीं देखा है. मैं ऐसे अमेरिकियों को जानता हूं, जो जवाहरलाल की इज्जत राष्ट्रपति ट्रूमैन से ज्यादा करते हैं. वे लोग भी जवाहरलाल के नेतृत्व और उनके नैतिक मूल्यों की इज्जत करते हैं, जिनके पास अथाह धन है, बड़ी-बड़ी फौजें हैं और अणु बम है. हम हिन्दुस्तानियों को इस बात की सही कद्र करनी चाहिए. ❑

जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नागरिकता कानून का किया था विरोध

❑ विजय शंकर सिंह

वर्ष 1906 में, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसमें भारतीय मूल की आबादी को पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया था। यह एक प्रकार नागरिकता के कानून जैसा ही था। गांधी जी ने समानता के अधिकार के उल्लंघन के विंदु पर उस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। सत्याग्रह की यह प्रथम परीक्षा थी।उस साल 11 सितंबर को जोहानिसबर्ग में हुई एक बैठक में इस नये और बाध्यकारी कानून का भारी विरोध दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समाज द्वारा किया गया। सत्याग्रह, गांधी जी के दर्शन का मूल शब्द है। इस शब्द का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के इसी काले कानून का अहिंसक आधार पर और दृढ़ता से विरोध करने का निश्चय किया था। सत्याग्रह नाम कैसे पड़ा और कैसे विरोध की एक छोटी सी घटना ने दर्शन और प्रतिरोध के एक ऐसे हथियार की खोज कर ली, जिसने दुनिया भर की उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों को बिखेर कर रख दिया, इतिहास का वह पन्ना गांधीजी के ही शब्दों में—

यहूदियों की उस नाटक-शाला में 11 सितंबर, 1906 को हिंदुस्तानियों की सभा हुई। ट्रान्सवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को सभा में बुलाया गया। परंतु मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रस्ताव मैंने तैयार किए थे, उनका पूरा अर्थ तो मैं खुद भी उस समय समझ नहीं पाया था। मैं इस बात का अनुमान भी उस समय नहीं लगा सका था कि उन प्रस्तावों को पास करने के परिणाम क्या आएंगे। सभा हुई। नाटक-शाला में पाँव रखने की भी जगह न रही। सब लोगों के चेहरों पर मैं यह भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, कुछ नयी बात होने वाली है। ट्रान्सवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी सभा के सभापति-पद पर आसीन थे। वे ट्रान्सवाल के बहुत ही पुराने हिंदुस्तानी निवासियों में से एक थे। वे कासम कमरुद्दीन नामक विख्यात पेढ़ी के साझीदार थे और उसकी जोहानिसबर्ग की शाखा के व्यवस्थापक थे। सभा में जितने प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें सच्चा प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय इस प्रकार था—'इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद यदि यह धारासभा में पास हो ही जाए, तो हिंदुस्तानी उसके सामने हार न मानें और हार न मानने के फलस्वरूप जो जो दुख भोगने पड़ें, उन सबको बहादुरी से सहन करें।'

यह प्रस्ताव मैंने सभा को अच्छी तरह समझा दिया। सभा ने शांति से मेरी बात सुनी। सभा का सारा कामकाज हिंदी में या गुजराती में ही चला, इसलिए किसी को कोई बात समझ में न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हिंदी न समझने वाले तमिल और तेलुगू भाइयों को इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों ने सारी बातें पूरी तरह समझा दीं। नियमानुसार प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया। अनेक वक्ताओं ने उसका समर्थन भी किया। उनमें एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे। वे भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भाषण बड़ा जोशीला था। आवेश में आकर वे यहाँ तक बोल गए कि, 'यह प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मान कर पास करना चाहिए। हम नामर्द बनकर ऐसे कानून के सामने कभी न झुकें। इसलिए मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इस कानून के सामने मैं कभी सिर नहीं झुकाऊँगा। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों को यह सलाह देता हूँ कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएँ।'

इस प्रस्ताव के समर्थन में अन्य लोगों ने भी तीखे और जोशीले भाषण किए। जब सेठ हाजी हबीब बोलते-बोलते कसम की बात पर आए, तब मैं चौंका और सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी और हिंदुस्तानी कौम की जिम्मेदारी का पूरा भान हुआ। आज तक कौम ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे। अधिक सोचने-विचारने के बाद या नए अनुभवों के बाद उन प्रस्तावों में परिवर्तन भी किए गए थे। ऐसे भी मौके आए थे, जब प्रस्ताव पास करने वाले सब लोगों ने उन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया। पास किए हुए प्रस्तावों में परिवर्तन करना, प्रस्तावों से सहमत होने वाले लोगों का बाद में उन पर अमल करने से इनकार करना आदि सारी दुनिया के सार्वजनिक जीवन के सामान्य अनुभव की बातें हैं। परंतु ऐसे प्रस्तावों में कोई ईश्वर का नाम बीच में नहीं लाता। सिद्धांत की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच-समझ कर कोई निश्चय करता है, तो वह अपने निश्चय से कभी डिगता नहीं। उसकी दृष्टि में उस निश्चय का महत्व उतना ही होता है, जितना ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा का।

लेकिन दुनिया सैद्धांतिक निर्णयों के आधार पर नहीं चलती। वह ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय के बीच महासागर जितना भेद मानती है। किसी सामान्य निश्चय को बदलने में बदलने वाले को शर्म नहीं आती। परंतु ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा का भंग करता है, तब वह खुद ही नहीं शरमाता है, समाज भी उसे धिक्कारता है और पापी मानता है। इस बात ने मानव-मन में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि कानून की दृष्टि में भी कसम खाकर कही गई बात अगर झूठी साबित हो, तो कसम खाने वाला आदमी अपराधी माना जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है।

ऐसे विचारों से भरा हुआ मैं – जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओं का काफी अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओं के मीठे फल जीवन में चखे थे – सेठ हाजी हबीब के कसम वाले सुझाव से चौंक उठा। मैंने उसके परिणामों का अनुमान एक क्षण में लगा लिया। इस घबराहट से मुझ में उत्साह और जोश पैदा हुआ। यद्यपि मैं उस सभा में प्रतिज्ञा करने या दूसरों से कराने के इरादे से नहीं गया था, तो भी मुझे सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा भी लगा कि सभा में आए हुए सब लोगों को सारे परिणामों से परिचित करा देना चाहिए, प्रतिज्ञा का अर्थ सबको स्पष्ट शब्दों में समझा देना चाहिए; उसके बाद वे प्रतिज्ञा कर सकें तो ही उसका स्वागत करना चाहिए और यदि न कर सकें तो मुझे समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी कौम के लोग अभी अंतिम कसौटी पर चढ़ने को तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने सभापति से कहा कि मुझे सेठ हाजी हबीब के कथन का गूढ़ अर्थ सभा को समझाने की इजाजत दी जाए। मुझे इजाजत मिली और मैं खड़ा हुआ। मैंने जिस प्रकार लोगों

को समझाया, उसका सार आज जैसा मुझे याद है उस रूप में नीचे देता हूँ।

'मैं इस सभा को यह समझाना चाहता हूँ कि आज तक हम लोगों ने जो प्रस्ताव जिस रीति से पास किए हैं, उन प्रस्तावों और उन्हें पास करने की रीति में तथा इस प्रस्ताव और इसे पास करने की रीति में बहुत बड़ा भेद है। यह प्रस्ताव बहुत गंभीर है, क्योंकि इसके संपूर्ण अमल पर दक्षिण अफ्रीका में हमारी हस्ती का आधार है। इस प्रस्ताव को पास करने की जो रीति हमारे मित्र ने सुझाई है, वह जैसे गंभीर है वैसे ही नई भी है। मैं स्वयं तो इस रीति से यह प्रस्ताव पास कराने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। इसका श्रेय केवल सेठ हाजी हबीब को ही मिलना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी का भार भी उन्हीं के सिर पर है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका सुझाव मुझे बहुत पसंद आया है। लेकिन अगर उनका सुझाव आप स्वीकार करें, तो उनकी जिम्मेदारी में आप सब भी साझेदार बन जाएँगे। यह जिम्मेदारी क्या है, इसे आपको समझ ही लेना चाहिए; और कौम के सलाहकार और सेवक के नाते मेरा धर्म है कि यह जिम्मेदारी मैं आपको पूरी तरह समझा दूँ।

हम सब एक ही सिरजनहार परमात्मा में विश्वास करते हैं। भले ही मुसलमान उसे खुदा कहें और हिंदू उसे ईश्वर कहें, लेकिन उसका स्वरूप एक ही है। उस ईश्वर को साक्षी रख कर या हमारे बीच रख कर यदि हम प्रतिज्ञा करें या कसम खाएँ, तो यह मामूली बात नहीं है। ऐसी कसम खाकर यदि हम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे न रहें, उसका भंग करें, तो हम कौम के, दुनिया के और ईश्वर के अपराधी बनेंगे। मैं तो यह मानता हूँ कि जो मनुष्य सावधान रहकर, शुद्ध बुद्धि से प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसे भंग करता है, वह अपनी इन्सानियत अथवा मनुष्यता खो देता है। जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांबे का सिक्का रुपया नहीं है, यह पता चलते ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, बल्कि उस खोटे सिक्के का मालिक सजा का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार झूठी कसम खाने वाले आदमी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती; साथ ही वह इहलोक तथा परलोक दोनों में सजा का पात्र ठहरता है। सेठ हाजी हबीब ऐसी ही गंभीर कसम खाने की बात सुझाते हैं। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है, जो बालक या बेसमझ कहा जाए। आप सब प्रौढ़ हैं, अनुभवी हैं। आपने दुनिया देखी है, आप में से कई लोग कौम के प्रतिनिधि हैं, और आप में से बहुत से लोगों ने कम-ज्यादा जिम्मेदारी के काम भी किए हैं। इसलिए इस सभा का एक भी आदमी ऐसा कहकर अपनी प्रतिज्ञा से मुकर नहीं सकता कि मैंने बिना समझे यह प्रतिज्ञा की थी।

मैं जानता हूँ कि प्रतिज्ञाएँ और व्रत किसी अत्यंत महत्व के अवसर पर ही लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए। चलते-फिरते प्रतिज्ञा लेने वाला मनुष्य उनके पालन में दृढ़ नहीं रह पाता है। परंतु यदि दक्षिण अफ्रीका की हिंदुस्तानी कौम के सामाजिक जीवन में प्रतिज्ञा लेने योग्य किसी अवसर की मैं कल्पना कर सकूँ, तो वह निश्चित रूप से यही अवसर है। ऐसे कदम अत्यंत सावधानी से और डर-डर कर उठाए जाएँ, इसी में बुद्धिमानी है। लेकिन सावधानी और डर की भी एक सीमा होती है। उस सीमा तक अब हम पहुँच गए हैं। सरकार ने सभ्यता की मर्यादा का त्याग कर दिया है। उसने हमारे चारों ओर दावानल सुलगा दिया है।

ऐसे समय भी अगर हम अपना सब-कुछ दाँव पर न लगा दें और हाथ पर हाथ धरकर सोच-विचार में ही पड़े रहें, तो हम अयोग्य और कायर सिद्ध होंगे। इसलिए यह अवसर कसम खाने या प्रतिज्ञा लेने का है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। परंतु यह कसम खाने की शक्ति हम में है या नहीं, यह तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने लिए सोच लेना होगा। ऐसे प्रस्ताव बहुमत से पास नहीं हुआ करते। जितने लोग कसम खाते हैं, उतने ही उस कसम से बँधते हैं। ऐसी कसमें दिखावे के लिए कभी नहीं खाई जातीं। उसका असर स्थानीय सरकार पर, बड़ी (साम्राज्य) सरकार पर या भारत सरकार पर कैसा पड़ेगा, इसका कोई जरा भी विचार न करे। हर एक को अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने हृदय की ही जाँच करनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद यदि उसकी अंतरात्मा उत्तर दे कि कसम खाने की शक्ति उसमें है, तो ही उसे कसम खानी चाहिए, और तभी उसकी कसम फल देने वाली सिद्ध होगी।

अब दो शब्द इसके परिणामों के बारे में भी कह दूँ। उत्तम आशा रखते हुए तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हिंदुस्तानी कौम का बड़ा भाग यह कसम खा सके और कसम खाने वाले सब लोग अपनी कसम पर डटे रहें, तो संभवतः यह बिल पास न हो; और अगर पास हो भी जाए, तो तुरंत रद्द कर दिया जाए। संभव है कि बिल का विरोध करने की कसम खाने से हमें बहुत से कष्ट सहने पड़ें। यह भी हो सकता है कि हमें जरा भी कष्ट न सहना पड़े। लेकिन कसम खाने वाले व्यक्ति का धर्म एक ओर यदि श्रद्धा से आशा रखने का है, तो दूसरी ओर किसी भी तरह की आशा न रखकर कसम खाने को तैयार रहने का है। इसीलिए हमारी लड़ाई के जो कड़वे से कड़वे परिणाम आ सकते हैं, उनका चित्र मैं सभा के सामने खींचना चाहता हूँ।

मान लीजिए कि सभा में आए हुए हम सब लोग कसम खाएँ। हमारी संख्या अधिक से अधिक तीन हजार होगी। यह भी संभव है कि बाकी के दस हजार हिंदुस्तानी यह कसम न खाएँ। शुरू में तो हमारी हँसी ही होगी। इसके सिवा, इस सारी चेतावनी के बावजूद यह बिलकुल संभव है कि कसम खाने वाले लोगों में से कुछ या बहुत से लोग पहली कसौटी में ही कमजोर मालूम पड़ें। संभव है कि हमें जेल में जाना पड़े; जेल में जाकर अपमान सहने पड़ें। वहाँ हमें भूख, ठंड और धूप का कष्ट भी भोगना पड़ सकता है; कड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। संभव है, जेल में उद्धत दारोगाओं की मार भी हमें खानी पड़े। हम पर जुर्माना हो सकता है और माल-सामान जब्त होकर नीलाम भी किया जा सकता है। अगर लड़ने वाले बहुत कम रह जाएँ, तो आज हमारे पास बहुत पैसा होने पर भी कल हम बिलकुल कंगाल बन सकते हैं। हमें देश निकाले की सजा भी हो सकती है। भूखों मरते मरते व जेल के दूसरे कष्ट भोगते भोगते हम में से कुछ लोग बीमार भी पड़ सकते हैं और कुछ मर भी सकते हैं।

इसलिए संक्षेप में कहा जाए तो यह बिलकुल असंभव नहीं कि हम जितने भी दुखों और कष्टों की कल्पना कर सकते हैं, उतने सब हमें भोगने पड़ें। इसलिए बुद्धिमानी की बात यही होगी कि यह सब हमें सहना पड़ेगा, ऐसा मानकर ही हम कसम खाएँ। मुझसे कोई पूछे कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा और कब होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि सारी कौम यदि इस कसौटी में से पूरी तरह पार हो जाए, तो लड़ाई का फैसला तुरंत हो जाएगा। परंतु यदि हम में से बहुत लोग कष्टों की आँधी आने पर गिर जाएँ या फिसल जाएँ, तो यह लड़ाई लंबी चलेगी। फिर भी इतना तो मैं साहस और निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि जब तक मुट्ठी भर लोग भी अपनी प्रतिज्ञा को जीवित रखने वाले होंगे, तब तक हमारी इस लड़ाई का एक ही अंत आएगा और वह यह कि लड़ाई में हमारी निश्चित विजय होगी। ❑

नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा एनआरसी नया रोलेट एक्ट है

सर्व सेवा संघ इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा

❑ महादेव विद्रोही

19 दिसंबर 2019 को सर्व सेवा संघ ने वर्धा शहर में स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल, वर्धा सर्वोदय मंडल, किसान अधिकार अभियान और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के साथी भी उपस्थित थे। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने इस कानून को संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए सर्व सेवा संघ का निम्नलिखित बयान जारी किया। **–सं.**

सत्ता के मद में अंधी और बहुमत के आधार पर कुछ भी करने को आमादा केंद्र सरकार ने पूरे देश में अशांति एवं अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि यहां धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा. पर नया अधिनियम कुछ खास धर्मों के लिए ही है. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैरक़ानूनी रूप से आनेवाले 6 समुदायों– हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी भारतीय नागरिकता के योग्य हो जायेंगे. नये कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले को अपना धर्म बताना पड़ेगा. यदि कोई नास्तिक है तो वह भारत का नागरिक नहीं बन सकेगा.

1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार विदेशों से आने वाले लोगों के लिए कम-से-कम 11 साल यहां रहना आवश्यक था, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है. इसमें चीन का उल्लेख नहीं है. जबकि दलाई लामा सहित वहां के लाखों बौद्ध शरणार्थी भारत में है. उसी प्रकार नेपाल के लाखों लोग दशकों से यहां रह रहे हैं. एक ज़माने में नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री बी. पी. कोइराला भी राजनीतिक शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे थे. अब ऐसे लोगों के लिये भारत में कोई स्थान नहीं बचा. इस कानून से यह साफ़ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए यह सब कर रही है, जो निंदनीय है.

पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार शिया, अहमदिया, सूफी आदि शरणार्थियों ने भारत में शरण ले रखी है. ये लोग सिर्फ इस कारण नागरिक नहीं बन पायेंगे, क्योंकि वे मुसलमान हैं. राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से असम के 19,06,557 लोगों, जिसमें करीब 12 लाख हिन्दू तथा करीब 7 लाख मुस्लिम हैं, को विदेशी घोषित कर दिया गया तथा 6 डिटेंशन शिविरों में 25 लोगों की मौत हो गई.

इसी साल एक एनआरसी अधिकारी एक नागरिक से नागरिकता पंजी में नाम शामिल करने के लिये घूस लेते गिरफ्तार किया गया. मधुमाला मंडल नाम की एक 59 वर्षीय निर्दोष महिला को चिरांग जिले के विष्णुपुर-1 गांव से गिरफ्तार कर कोकराझार के डिटेंशन कैंप में 3 वर्षों तक रखा गया. उसके बाद उन्हें निर्दोष छोड़ा गया. वह इतनी गरीब थी कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती तक नहीं दे पायी. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अदालत में चुनौती देने के बाद वह मुक्त हुई. असम के 6 डिटेंशन कैम्पों में 25 से अधिक नागरिकों की मौतें हुई हैं. विडम्बना यहां तक है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों को भारतीय नागरिक और कुछ लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है.

देश में लाखों की संख्या में घुमंतू जातियों तथा फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की भी नागरिकता खतरे में आ गयी है. अरबों रूपये खर्च करके असम में नागरिकता रजिस्टर बनाये गए, आधार कार्ड बनवाये गये. अब देश के सिर पर नोटबंदी, जिसके कारण 100 से अधिक लोगों की मौते हुईं, जैसा ही जुल्मी कानून लादा जा रहा है. यह हमें स्वीकार नहीं है. यह अधिनियम भारत के संविधान की मूल भावना की खिलाफ तथा धार्मिक भेद-भाव पैदा करने वाला है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं.

सर्व सेवा संघ इस कानून को सर्वोच्च न्यांयालय में चुनौती देने जा रहा है तथा हर स्तर पर इसका विरोध करेगा. सर्व सेवा संघ असम में मारे गए 5 नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है. इसके साथ हम जामिया मिलिया तथा दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में नागरिकता संशोधन अधिनियम का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले छात्रों पर पुलिस के बर्बर अत्याचारों की निंदा करते हैं.

हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस भेदभावपूर्ण कानून को तुरंत वापस ले ताकि असम की तरह पूरे देश के नागरिक उत्पीड़न के शिकार न हों। इसी तरह का कानून 1906 में दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था. महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मूल के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था. 11 सितम्बर 1906 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में नागरिकता कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था—'इस बिल के विरोध में सारे उपाय किये जाने के बावजूद भी यदि वह धारासभा में पास हो जाये तो हिन्दुस्तानी उसके सामने हार न मानें और हार न मानने के फलस्वरूप जो दुःख भोगने पड़ें, उन सबों को बहादुरी से सहन करें.'

गांधी के हर अनुयायी का कर्तव्य है कि वह इस अन्यायी कानून का विरोध करे। ❑

नजरिया

नागरिकता संशोधन अधिनियम

यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है

❑ मनीष तिवारी

भारत की जो मूलभूत परंपरा रही है, वह यह है कि कोई भी शरणार्थी अगर हमारे द्वार पर आया है और वह अपने मुल्क में प्रताड़ना का शिकार है, तो हमने कभी उससे ये नहीं पूछा है कि उसकी जाति क्या है, उसका मज़हब क्या है, वह किस समुदाय का है। हमने उसको पनाह दी है. ये आज से नहीं बल्कि सदियों से भारत की मूलभूत अवधारणा का आधार रहा है. जब पारसी पांचवी और आठवीं सदी में परसिया से प्रताड़ित होकर भागे थे, तो वे गुजरात पहुंचे थे.

वे लोग संजन में आकर उतरे थे और वहां के राजा राणा जाधव ने उनको पनाह दी थी. इसके बाद वे भारत की फिज़ां में घुलमिल गए. इतिहास में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, जहां भारत ने अपना दिल और दिमाग़ संकीर्ण नहीं किया, व्यापकता और दरियादिली दिखाई.

देश के गृहमंत्री ने लोक सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते हुए आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस ने किया था. गृह मंत्री ने या तो इतिहास पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा है तो उससे वे जानबूझ कर सच्चाई से आंख मूंदना चाह रहे हैं और ग़लत बयान दे रहे हैं. इतिहास ये है कि सबसे पहले 1907 में धर्म के आधार पर टू नेशन थ्योरी की बात भाई परमानंद ने की थी, जो हिंदू महासभा के नेता थे. उसके बाद 1924 में लाला लाजपत राय ने ट्रिब्यून अख़बार में एक लेख लिखा था, जहां उन्होंने इस बात को दोहराया था. वे भी हिंदू महासभा के नेता थे. वे बहुत बड़े संग्रामी थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी. फिर भी ऐसे उनके विचार थे.

इसके बाद जब इक़बाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, तो 1930 में उन्होंने भी ये बात कही. उसके बाद 1937 में जब अहमदाबाद में हिंदू महासभा का महाधिवेशन हुआ, तो सावरकर ने इस बात को दोहराया. फिर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही. 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने दोबारा कहा कि जिन्ना के टू नेशन थ्योरी से मुझे कोई शिकायत नहीं है.

इसलिए गृहमंत्री को अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से बचना चाहिए. उस वक्त सदन में इस बात को ज़ोर से रखा गया था कि यह इतिहास से विपरीत तथ्य है और इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए. कांग्रेस का मानना है कि शरणार्थियों के लिए एक व्यापक क़ानून बनना चाहिए, जो धर्म, फिरका, जाति, मज़बह से ऊपर हो. और साथ ही वह क़ानून अंतरराष्ट्रीय संधियों का भी सम्मान करता हो.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए बनाए अंतर्राष्ट्रीय करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं. उसके अनुच्छेद 5, 6 और 7 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हर ज़रूरी क़दम उठाने की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि सदस्य देश किसी ख़ास समुदाय को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं रखेंगे और वे उन मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, जो इस करार द्वारा प्रदत्त हैं. ये नागरिकता कानून पूरी तरह से ग़ैर-संवैधानिक है क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म नागरिकता का आधार नहीं हो सकता.

सत्ता पक्ष का कहना है कि केवल तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान) में जहां अल्पसंख्यकों पर धर्म के आधार पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों के लिए नागरिकता देने का फ़ैसला लिया जा रहा है. लेकिन इस बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है कि पूरे विश्व में 198 देश हैं, तो ऐसे में भारत का बनाया क़ानून क्या सिर्फ तीन मुल्कों के लिए बनाया जाना चाहिए? और अगर सत्ता पक्ष का दावा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान का राजधर्म इस्लाम है तो फिर मालदीव का राजधर्म क्या है? ये एक विचित्र क़ानून है कि बांग्लादेश के लिए एक क़ानून, नेपाल और भूटान के लिए दूसरा क़ानून. अफ़ग़ानिस्तान के लिए तीसरा क़ानून, श्रीलंका और मालदीव के लिए चौथा क़ानून. ये किस किस्म का क़ानून है, इसका न तो कोई सिर है न पैर.

भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और यहां क़ानून, चाहे वह भारतीयों के लिए हो या फिर ग़ैर-भातीयों के लिए, वह धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता. ये कानून संविधान की धारा 14, 15, 21, 25, 26 का उल्लंघन है. साथ ही संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन है, जिसका जिक्र केशवानंद भारती मामले में हुआ था. 1973 में आए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके ज़रिए संविधान के मूल ढांचे को हानि नहीं होनी चाहिए. ये फ़ैसला जल्दबाज़ी में लाए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश लगाने का काम करता है. शीर्ष अदालत की कई खंडपीठों ने इसको फिर आगे बढ़ाया और व्यापक रूप दिया. ये क़ानून उन सबके विरुद्ध है. यह भारत की परंपरा और मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ़ है. मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को सरकार से डर लगता है और इस कारण वे एक ग़ैर संवैधानिक क़ानून पर सरकार के साथ खड़े हैं.

हमें उम्मीद है कि इस संशोधन में रीज़नेबल क्लासिफिकेशन का आधार अदालत में टिक नहीं पाएगा. रीज़नेबल क्लासिफिकेशन का आधार ये है कि जो समान हैं, उनके बीच असमानता नहीं देखी जानी चाहिए. अगर कोई शरणार्थी प्रताड़ित है और आपसे पनाह मांगता है तो आप उससे यह नहीं पूछ सकते हैं कि उसका धर्म क्या है और उसकी जाति क्या है. एक शरणार्थी, सिर्फ शरणार्थी है चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो. ❑

नागरिकता संशोधन अधिनियम

अब सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हैं उम्मीदें

❑ फ़ैज़ान मुस्तफ़ा

नागरिकता संशोधन कानून के बारे में ये कहा जा रहा है कि यह संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है और इस आधार पर इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. लेकिन अगर कोर्ट में चुनौती दी गई तो क्या होगा?

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें साफ़ कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को क़ानून के तहत समान संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा. इसमें नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल हैं. हम आज जिनको भारत का नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासी शामिल हैं. हम इस तथ्य को अनदेखा कर रहे हैं कि शरण की उम्मीद में भारत आने वाले इन देशों के मुसलमान भी हैं, उनको भी अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षण प्राप्त है. अनुछेद 14 की ये मांग कभी नहीं रही है कि एक क़ानून बनाया जाए. लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि देश में जो सत्तारूढ़ दल है, वह एक देश, एक क़ानून, एक धर्म और एक भाषा की बात कहता रहा है.

वर्गीकरण करके कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है और कुछ लोगों को नहीं. जैसे इस्लाम और यहूदी धर्म के लोगों को छोड़ दिया गया है. यह अनुच्छेद 14 की मूल भावना के खिलाफ़ है.

उदाहरण के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि जितने भी लोग तेलंगाना में रहते हैं, उनके लिए नालसार में आरक्षण दिया जाएगा और बाकियों को नहीं दिया जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि ये आपने डोमिसाइल यानी आवास के आधार पर आरक्षण दिया गया है और इसे कोर्ट स्वीकार भी करता है. हमें समझना होगा कि अनुच्छेद 14 यह मांग नहीं करता कि लोगों के लिए एक क़ानून हो, बल्कि देश में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग क़ानून हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आधार सही और जायज़ होना चाहिए.

अगर वर्गीकरण हो रहा है तो यह धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए. ये आधुनिक नागरिकता और राष्ट्रीयता के खिलाफ़ है. सोचने वाली बात है कि कोई भी देश इन लोगों को जगह क्यों देगा. अगर भारत इस क़ानून को बना रहा है तो उसे ऐसे बनाना चाहिए कि कोई भी देश हमारे ऊपर न हंसे. क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव और वर्गीकरण को गैर क़ानूनी समझता है.

अगर सरकार कह रही है कि मुसलमान एक अलग क्लास है तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना पाएंगे. क्योंकि फिर मुसलमान ये कह सकते हैं कि अगर हम अलग क्लास हैं तो हमारे लिए अलग क़ानून भी होना चाहिए. अगर नागरिकता के लिए अलग क़ानून है तो हमारा पर्सनल लॉ भी होना चाहिए. इस तरह से आप कभी भी क़ानून में बदलाव या सुधार नहीं ला पाएंगे.

मैं ये समझता हूं कि यह कानून बहुत ख़तरनाक है. आज धर्म के आधार पर भेदभाव को जायज़ ठहराया जा रहा है तो कल जाति के आधार पर भी भेदभाव और वर्गीकरण को जायज़ ठहराया जाएगा. हम आखिर देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं!

संविधान के अनुसार लोगों को इस तरह से बांटने और वर्गीकरण का कोई उद्देश्य होना चाहिए और वह न्यायोचित होना चाहिए. यहां बात साफ़ है कि हमारा उद्देश्य न्यायोचित नहीं है.

इस संशोधन के खिलाफ कोर्ट में तो जाया जा सकता है, लेकिन भारत में जो संविधान है उसके अनुसार अगर संसद किसी क़ानून को पारित करती है, तो इसका मतलब है कि ये संवैधानिक है। ऐसे में जो व्यक्ति इसे चुनौती देगा, उसी पर ये साबित करने का बोझ होगा कि वह बताए कि ये कैसे और किस तरह से असंवैधानिक है. इस तरह के मामले कई बार सांवैधानिक बेंच के पास चले जाते हैं और बेंच के पास बहुत से मामले पहले से ही लंबित हैं, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई जल्दी नहीं होगी.

देश के जो समझदार लोग हैं, वे यह देख रहे हैं कि देश ग़लत दिशा में जा रहा है. संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदला जा सकता है. ये एक मामूली क़ानून है, जिसके ज़रिए आप संविधान का ढांचा नहीं बदल सकते, इसलिए ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी कि किस तरह यह क़ानून संविधान के मूलभूत ढांचे को बदल सकता है. फिर यदि कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है तो ही स्थित कुछ बदल सकती है. अब देश के लोगों की उम्मीदें सर्वोच्च न्यायालय पर ही टिकी हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की एक परीक्षा होगी कि वह मूलभूत ढांचे को अब तक जैसे परिभाषित करते आया है, उसे इस कानून पर कैसे लागू करता है.

इस पर पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की नज़रें टिकी होंगी. बहुसंख्यकवाद के कारण कई बार संसद ग़लत क़ानून बना देती हैं और फिर अदालतें न्यायिक समीक्षा की ताक़त का इस्तेमाल करते हुए उसपर अंकुश लगाती हैं और संविधान को बचाती हैं. भारत के न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया होगी, पूरे विश्व की नज़रें इस बात पर टिकी हैं.

(लेखक नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और क़ानून विशेषज्ञ हैं) ❑

सीएए और एनआरसी
दोनों एक ही सिक्के दो पहलू हैं

❑ प्रेम प्रकाश

भारत के नागरिकता कानून में किये गये नवीनतम संशोधन ने भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने में उनके मजहबों के आधार पर अंतर करके देश को झकझोर दिया है। इसके राष्ट्रीय संदर्भ क्या हैं, पूर्वोत्तर सहित पूरा देश इससे क्यों आंदोलित हुआ और इस संशोधन का सरकार द्वारा पूरे देश में लाये जा रहे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) से क्या संबंध है, इस पर विचार करने की जरूरत है।

जिस समय यह आलेख लिखा जा रहा है, देश के लगभग सभी प्रदेशों, शहरों और विश्वविद्यालयों में इस कानून के विरोध में लोगों का हुजूम सड़कों पर है। कश्मीर के बाद असम पूरा का पूरा इंटरनेट बंदी की चपेट में है। इसके अलावा अनेक शहरों में लोग अलग-अलग अवधि के लिए इंटरनेट की बंदी झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में एक साथ धारा 144 लगा दी गयी है। केरल, पंजाब, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित अनेक विपक्ष शासित प्रदेशों ने अपने यहां यह कानून लागू करने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की निगरानी में सीएए और एनआरसी पर देश भर में रायशुमारी किये जाने की मांग भी कर दी है।

सीएए के विरोध की शुरुआत असम से हुई। इसकी वजह ये हुई कि एनआरसी का पहला प्रयोग असम में ही हुआ। इस प्रयोग के परिणाम चौंकाने वाले थे। पता चला कि असम के लगभग 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गये हैं, क्योंकि वे अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सके। सरकार को यह उम्मीद नहीं थी कि इन 19 लाख में से लगभग 14 लाख हिन्दू निकल आयेंगे। ऐसा परिणाम देखकर सरकार के माथे पर बल पड़ गये। ऐसा समझा जा रहा था कि यह सारी कवायद बांग्लादेश से आये मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने के लिए की जा रही है, लेकिन अब सरकार को इन 14 लाख हिन्दुओं को बचाने की चिन्ता हुई। नागरिकता संशोधन विधेयक इन्हीं हिन्दुओं की नागरिकता बचाने के उपाय के तौर पर लाया गया। यहीं से असम में विरोध की सुगबुगाहट शुरू हुई। असम की चिन्ता यह नहीं है कि कौन वहां से निकाला जा रहा है। उसकी चिन्ता यह है कि कितने लोग वहां घुसाये जा रहे हैं। असम की राजनीति और जनसांख्यिकी पूरी तरह घुसपैठियों से प्रभावित रही है। 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन के केन्द्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या ही मूल वजह थी। बाहरी घुसपैठियों के कारण असम की भाषा व संस्कृति पर वर्चस्व का संकट तथा रोजगार की संभावनाओं और भूमि संसाधनों में बंटवारे का सवाल खड़ा हो गया था। असम के लोगों का कहना है कि यह कानून 1985 के 'असम अकार्ड' का उल्लंघन करता है, जिसमें असम में भारतीय नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 मानी गयी थी। नये कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों और जैनियों के लिए यह कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 कर दी गयी है और व्यापक विरोध की वजह ये बना कि इस दायरे से मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। यानी लगभग 5 लाख मुस्लिमों के अलावा अब लगभग 14 लाख शेष घुसपैठियों को असम को स्वीकार करना होगा।

नागरिकता के नियम : 1955 के नागरिकता अधिनियम के मुताबिक भारत की नागरिकता पाने के ये चार रास्ते हैं—

(क) जन्म से नागरिकता : 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जायेगा। बाद में इसमें सुधार किया गया कि 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1987 के बीच पैदा होने वालों को जन्म से भारतीय नागरिक माना जायेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसमें एक बार फिर संशोधन किया गया कि 5 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले उन लोगों को भी जन्म से भारतीय नागरिक माना जायेगा, जिनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध अप्रवासी न हो। अगर इनमें से कोई एक अवैध अप्रवासी हो तो 2004 के बाद पैदा हुए उसके बच्चे को दूसरे नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। कानून कहता है कि अवैध अप्रवासी वह विदेशी नागरिक है, जो बिना जरूरी कागजात के देश में मौजूद हो या स्वीकृत समय-सीमा के बाद भी देश में रह रहा हो।

(ख) पृष्ठभूमि से नागरिकता : भारत के बाहर पैदा हुए उस व्यक्ति को, जिसके माता-पिता (कम से कम एक अथवा दोनों) भारतीय हों, नागरिकता दी जायेगी बशर्ते उसके जन्म का पंजीकरण जन्म के एक साल के भीतर उस देश के भारतीय काउन्सलेट के यहां करा लिया गया हो।

(ग) स्वाभाविक नागरिकता : नागरिकता अधिनियम के सेक्शन 6 के अनुसार वह व्यक्ति, जो अवैध अप्रवासी नहीं है और नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीनों से लगातार भारत में रह रहा हो, 12 महीने की इस अवधि से पीछे के 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष तक वह भारत में अवश्य रहा हो, इस सेक्शन के तहत नागरिकता ले सकता है।

(घ) विदेशियों को नागरिकता : कोई विदेशी नागरिक, जिसका विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्वशांति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो, यदि वह अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसे भी नागरिकता दी जा सकती है। दलाईलामा और पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को इसी कैटगरी में भारत की नागरिकता दी गयी है।

अब नये कानून के तहत जिन्हें नागरिकता दी जानी है, उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये गैर मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या 2,89,394 है। यह गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। ये लोग सरकार द्वारा घोषित कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। सवाल

उठता है कि ये समुदाय क्या उन देशों में वास्तव में उत्पीड़न के शिकार है। राज्य सभा में बहस के दौरान गृहमंत्री ने पाकिस्तान में हिन्दुओं के उत्पीड़न के लिए कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का सहारा लिया, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। इनमें आसिया वीबी का उदाहरण भी है, जो एक पाकिस्तानी ईसाई हैं और ईशनिंदा के आरोप में उन्हें 8 साल तक मृत्युदंड के भय के साथ जेल में रखा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया। बांग्लादेश में अस्थिरतावादियों की इस्लामिक आतंकियों द्वारा हत्याओं के मामले लिखित तौर पर उपलब्ध हैं। शेख मुजीब की हत्या के बाद, हमारे गृहमंत्री कहते हैं कि वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना बढ़ी। वहीं बांग्लादेश के गृहमंत्री वहां किसी प्रकार की धार्मिक प्रताड़ना से इनकार करते हैं।

बहस का मुद्दा : विधि विशेषज्ञ और विपक्ष के नेता इस कानून को संविधान की अवहेलना कहते हैं। संसद में भी कहा गया कि यह संशोधन संविधान के उस आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सभी धर्मों के अनुायायियों को समान नागरिक संरक्षण देने की गारंटी दी गयी है। धार्मिक आधार पर नागरिकता देना संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है। और धर्म निरपेक्षता देश की संवैधानिक संरचना का प्रमुख स्तम्भ है, जिसे संसद द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। सरकार की ओर से संसद में साफ कहा गया कि यह कानून म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलों को सुरक्षा नहीं देता है। इसी प्रकार यह कानून पाकिस्तान में प्रताड़ित किये जा रहे शिया और अहमदिया मुसलमानों तथा अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा प्रताड़ित ताजिक, हाजरा और उजबेक मुसलमानों को भी संरक्षण प्रदान नहीं करता। स्पष्टतः ये तथ्य संविधान के आर्टिकल 14 की भावना के खिलाफ जाते हैं। गृह मंत्रालय का अजीब तर्क है कि मुस्लिम देशों में मुस्लिम प्रताड़ित नहीं हो सकते। भाजपा के सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी का कहना है कि पाकिस्तान के शिया और अहमदिया मुसलमानों को भारत के बजाय ईरान जाना चाहिए। श्रीलंका और भूटान के बारे में गृह मंत्रालय का तर्क है कि इन देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम नहीं, बौद्ध है।

प्रताड़ित समूहों की पहचान : पाकिस्तान के दूसरे संविधान संशोधन के अनुसार अहमदियों को गैर मुस्लिम माना गया है। वहां की दंड प्रक्रिया संहिता कहती है कि किसी अहमदिया द्वारा खुद को मुस्लिम कहना एक आपराधिक कृत्य है। अहमदियों को पाकिस्तान का कानून वोट देने के अधिकार से भी वंचित करता है। 2016 में गठित यूएस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग कहता है कि पाकिस्तान ऐसे तमाम मामलों में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लंघन करता है। इसी वर्ष अगस्त में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अनाचार की बात कही थी।

तर्क दिया जाता है कि जब यह कानून केवल गैर भारतीय मुस्लिमों को अपने दायरे से बाहर रखने को प्रतिबद्ध है तो भारतीय मुसलमान इसके खिलाफ क्यों हैं? असम में हुई एनआरसी के बाद सीएए को एनआरसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह सबको समझ में आ रहा है कि असम में एनआरसी से बाहर रह गये 14 लाख बांग्ला हिन्दुओं को वापस भारतीय नागरिक बनाने के एक टूल के तौर पर सीएए की कवायद शुरू की गयी है। यही टूल, अगर देश भर में एनआरसी लागू हुई, तो गैर मुस्लिमों की नागरिकता बचाने के काम आयेगा। जब कि उन्हीं प्रताड़नाओं और परिस्थितियों से मुकाबिल वे मुसलमान नागरिक नहीं बन पायेंगे, जो बाकियों की तरह ही निराश्रित होंगे। जिन्हें नागरिकता दी जानी है, उन शरणार्थियों की पहचान कैसे होगी, इस बारे में गृह मंत्रालय का कहना है कि उनकी प्रताड़ना आदि के संबंध में उनसे कोई कागजात नहीं मांगे जायेंगे। विवाद शुरू ही यहीं से होता है कि अगर एनआरसी पूरे देश में लागू की जाने वाली है तो, बाहर से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सीएए के तहत कोई कागज नहीं देना होगा। वहीं एनआरसी में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए भारत के मूल बाशिंदों को अनेक दस्तावेज देने होंगे।

असम में जो लोग एनआरसी से बाहर रह गये, उन्हें अब नये कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। यह कितना बड़ा संवैधानिक माजक होगा, यह ध्यान देने योग्य है। जिन लोगों ने पहले आवेदन दिया था कि वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें अब नये कानून के तहत आवेदन करते हुए कहना होगा कि वे बांग्लादेश से आये प्रताड़ित शरणार्थी हैं। इस प्रकट झूठ की नजीर के बाद भी सरकार जिद पर अड़ी है कि इस कानून से संविधान का उल्लंघन नहीं होता। आप खुद तय करें कि एक ही आदमी एक ही उद्देश्य से दो बार आवेदन देता है और दोनों बार में अपनी वैधानिक स्थिति अलग-अलग बताता है। और अगर यह कानूनन हो रहा है तो वह कानून असंवैधानिक हुआ या नहीं?

एक दूसरा झूठ भी है, जो सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। 1950 में भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के बीच हुए दिल्ली समझौते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर सहमति के हस्ताक्षर किये थे कि दोनों ही देश अपने-अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे। गृहमंत्री ने संसद में कहा कि भारत ने तो उस समझौते का पालन किया, जिसका प्रमाण है कि भारत में मुसलमान खूब फले-फूले और उनकी आबादी भी बढ़ी। किन्तु पाकिस्तान ने अपने यहां हिन्दू अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया। यहां तक कि उनकी आबादी भी वहां कम हो गयी।

आंकड़ों की असलियत : गृहमंत्री द्वारा दिये आंकड़ों में से एक यह है कि पाकिस्तान में 1947 में 23 फ़ीसदी हिंदू थे जो 2011 में घटकर 3.7 फ़ीसदी रह गए. 1947 में कोई जनगणना नहीं हुई थी. 1941 में हुई थी (जो प्रकाशित नहीं हुई) इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। भारत की ही तरह स्वतंत्र पाकिस्तान में पहली जनगणना 1951 में हुई. इसमें संयुक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 14.20 फ़ीसदी. इसमें पश्चिमी पाकिस्तान की थी 3.44 फ़ीसदी और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की थी 23.20 फ़ीसदी।

इसके बाद पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों के कारण अगली जनगणना पंद्रह वर्ष के अंतराल पर 1998 में हो पायी. इस बार हिंदुओं की आबादी बढ़ी और वह स्वतंत्र पाकिस्तान में अब तक की सर्वाधिक थी- 3.70 फ़ीसदी. सच तो यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की वृद्धि दर भारत में मुसलमानों की वृद्धि दर से तेज़ है. आखिरी जनगणना 2017 में हुई है, जिसके विस्तृत धार्मिक कोटि के आँकड़े अभी आने बाक़ी हैं.

जैसा कि शुरू में ही कहा, बंगाल, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब तो बिहार ने भी इस कानून को अपने राज्यों में लागू करने से मना कर दिया है। पूर्वोत्तर की स्थिति यह है कि अधिकतर राज्य आदिवासी इलाकों के लिए बने विशेष संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अब मणिपुर में इनर लाइन परमिट का संरक्षण है। वहीं 6ठवें शिड्यूल के प्रावधानों से मेघालय और त्रिपुरा का बड़ा हिस्सा संरक्षित है। इन राज्यों में यह कानून लागू ही नहीं हो सकेगा। असम में कुछ जिलों में स्वायत्त शासन व्यवस्था है। नया कानून उनको छोड़कर ही लागू हो पायेगा। ऐसे में एक विद्रूप यह उभरता है कि एक ही राज्य में नागरिकता के दो नियम काम कर रहे होंगे। असम समझौते के क्लाज 5.8 के अनुसार 24 मार्च 1971 के बाद वहां आने वाले सभी विदेशियों को बाहर निकाला जायेगा, जबकि नये कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आ चुके सभी गैर मुस्लिमों को बसाया जायेगा। असम समझौते में असम की तरफ से पहले ही यह दरियादिली दिखायी जा चुकी थी, जब भारत सरकार के साथ समझौते में उन्होंने कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 स्वीकार की, वरना शेष देश के लिए नागरिकता कानून के तहत यह कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948 स्वीकार की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि असम के लिए एनआरसी की वर्तमान प्रक्रिया 1913 में शुरू की गयी थी और सर्वोच्च न्यायालय इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले असम में एनआरसी पूरा करने में लगभग 12000 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ और लगभग 6 वर्ष का समय लगा। अब अगर इसे देश भर में लागू करने की जिद पर सरकार अड़ी रही तो लगने वाले समय और खर्च का अनुमार आप खुद कर लें। यानी पूरे देश को एक लंबे समय के लिए अस्थिरता और अराजकता की तरफ धकेला जा रहा है। जिस तरह नागरिकता कानून में असंवैधानिक संशोधन असम समझौते के खिलाफ खड़ा हो गया है, उसी तरह सीएए और एनआरसी की संयुक्त प्रक्रिया देश के संविधान के सामने खड़ी होती दिख रही है।

(सभी आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस से साभार) ❑

एंटी नेशनल है यह मिसएडवेंचर

❑ पुरुषोत्तम अग्रवाल

हमारे पड़ोसियों में हमारे सबसे अच्छे संबंध इस समय बांगलादेश और अफगानिस्तान से हैं। नेपाल के साथ संबंधों में खटास यह महान सरकार अपने पहले कार्यकाल में ही नेपाल की नाकेबंदी करके ला चुकी है। श्रीलंका के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव का दौर राजीव गांधी के जमाने से ही चलता रहा है और इस समय वहाँ चीन का बहुत प्रभाव है। पाकिस्तान चीन के साथ है ही। कश्मीर के मसले पर चीन और अमेरिका की चुप्पी का कारण यह नहीं है कि ट्रंप साहब मोदीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गये हैं, या चीन के शी जिनपिंग मोदीजी के साथ झूला झूलने की स्मृतियों में झूल रहे हैं। दोनों ही के लिए पाकिस्तान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके अपने व्यापारिक और राजनैतिक हित हैं। विश्व राजनीति ऐसे ही चलती है।

इस समय दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था बांगलादेश की है। यह ऐसा देश भी है, जहाँ धार्मिक कट्टरपंथियों और बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वालों को सख्ती से दबाया गया है, कुछ को तो मृत्युदंड तक दिया गया है। कल्पना कीजिए, भारत, जो कम विकास दर के बावजूद आकार में बहुत बड़ी अर्थ-व्यवस्था है और बांगलादेश के बीच संबंध और बेहतर हों तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा? भारत और बांगलादेश के बीच तनाव बढ़े, यह अमेरिका और चीन के हित में है। अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव घटे, यह पाकिस्तान के हित में। अद्भुत है वर्तमान सरकार की समझ, बांगलादेश और अफगानिस्तान दोनों को पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट करके आपने पाकिस्तान की मनचाही कर दी है। बांगलादेश के मंत्री अपनी भारत यात्रा रद्द या स्थगित कर चुके हैं, वहां की प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास से भारत सरकार से अपने नागरिकों की सूची माँग रही हैं, ताकि उन्हें वापस बुला सकें।

बांगलादेश की स्वाधीनता में भारत का योगदान था। यह स्वाधीनता पाकिस्तान के नक्शे की सिकुड़न ही नहीं, उसके अस्तित्व के मूल तर्क का नकार भी सूचित करती है। बुरे वक्त से गुजर कर आज 'गणप्रजातंत्री बांगलादेश' बहुसंख्यावाद से संघर्ष करते हुए सहिष्णु समाज बनकर उभरा है। यह शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना वाजेद के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। हमारे नेता अपने संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थों के लिए बांगलादेश की राजनीति में शेख हसीना की स्थिति कमजोर कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं कि खुद बांगलादेश के भीतर आवाजें उठने लगें कि भारत की जगह पाकिस्तान से निकटता बढ़ाई जाए, विदेशनीति में चीन को अधिक महत्व दिया जाए।

क्या यह संयोग भर है कि इस साल बांगलादेश के स्वाधीनता दिवस—सोलह दिसंबर—के दिन इस स्वाधीनता में भारतीय भूमिका को लेकर उत्साह न भारत में दिखा, न बांगलादेश में। रिश्तों में यह ठंडक किसके हित में है, किसके इशारे पर लाई जा रही है? दूरदर्शी नेतृत्व होता तो इस समय भारत और बांगलादेश की अर्थव्यवस्था को घनिष्ठ संबंधों में बाँधकर विश्व-व्यापार में चीन को कमजोर करने की कोशिश करता, ट्रंप साहब का चुनाव-प्रचार (अबकी बार ट्रंप सरकार) करने के बजाय अमेरिका से अपनी शर्तों पर बात करने की हैसियत हासिल करने की कोशिश करता।

पाकिस्तान से आपका पुराना वैर है, चीन से पुरानी स्पर्धा, नेपाल से संबंध खराब कर ही लिए हैं। श्रीलंका चीन के दिनोंदिन निकट जा रहा है। रहा बांगलादेश, उसे आप अब धकेलने पर तुले हैं। धर्म के आधार पर नागरिकता कानून बनाना संविधान की आत्मा का उल्लंघन तो है ही, ऐन व्यावहारिक धरातल पर भी यह विश्व-राजनीति में भारतीय हितों के लिए भयानक रूप से घातक है। ऐसे मिसएडवेंचर को एंटी-नेशनल नहीं, तो क्या कहेंगे आप? ❑

प्रताड़ना के चलते भारत आने वालों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं

गृहमंत्री ने संसद में कहा कि चूंकि पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भारी संख्या में अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, इसकी वजह से नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है. इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे. हालांकि उनका ये दावा सरकारी आंकड़ों पर खरा नहीं उतरता है. संसद में जहां सत्ता पक्ष ने इस कानून की खूबियां गिनायीं, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश एवं संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ बताया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चितंबरम ने गृह मंत्री से पूछा कि क्या इस संबंध में कानून मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल से उचित राय-सलाह ली गई थी. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा किया गया है तो सरकार उन सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करे और अटॉर्नी जनरल को सदन में बुलाया जाए ताकि सांसद उनसे सवाल पूछ सकें.

नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने के लिए सरकार ने जो तर्क दिए हैं, उसकी तुलना में नागरिकता मांगने वालों की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने 25 जुलाई 2018 को राज्यसभा में गृह मंत्री से पूछा था कि भारत में रह रहे विभिन्न देशों से आए कुल कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है. इस पर तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि उस समय तक इस तरह के सिर्फ 4044 आवेदन लंबित थे. इसमें से 1085 आवेदन गृह मंत्रालय की प्रक्रिया के तहत लंबित थे और बाकी के 2959 मामले विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के यहां लंबित थे. इसमें से अफगानिस्तान से सिर्फ 687 आवेदन थे. इसके अलावा पाकिस्तान से कुल 2508 और बांग्लादेश से कुल 84 आवेदन लंबित थे. बांग्लादेश से ज्यादा अमेरिका से 101 लोगों, श्रीलंका से 71 लोगों और अन्य देशविहीन 195 लोगों ने भारतीय नागरिकता मांगी थी. इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. नागरिकता संशोधन विधेयक में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं.इसके अलावा रिपुन बोरा ने यह भी पूछा था कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों का धर्म-वार और देश-वार आंकड़ा दिया जाए. इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई आंकड़ा तैयार नहीं किया जाता है.कांग्रेस सांसद ने इसी सवाल में यह भी कहा था कि 1990 से लेकर अब तक भारतीय नागरिकता के लिए भारत आए लोगों का कुल आंकड़ा वर्ष-वार दिया जाए. इस पर किरन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है. केंद्रीय गृहमंत्री ने इस विधेयक को लेकर बार-बार यह दावा किया कि भारी संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोग भारतीय नागरिकता मांग रहे हैं. हालांकि सरकारी आंकड़ों से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि खुद केंद्र के पास इस संबंध में पर्याप्त जानकारियां नहीं हैं कि पिछले कुछ सालों में कुल कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता मांगी है.धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने ही 23 मार्च 2017 को राज्य सभा में पूछा था कि क्या सरकार के पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 1947 के बाद और 1971 के बाद बांग्लादेश में किसी भी धार्मिक उत्पीड़न पर कोई रिपोर्ट है, जिसके लिए विभिन्न धर्मों के लोगों को शरण के लिए भारत आना पड़ा है.इस पर तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने लिखित जवाब दिया कि इस मामले में आधिकारिक आकड़े नहीं हैं. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस पर सवाल उठाया कि अगर हमारे पास शरण मांगने वालों का उचित आंकड़ा नहीं है तो हम ये विधेयक किस आधार पर ला रहे हैं. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि चूंकि अभी नागरिकता संशोधन कानून नहीं बना है इसलिए वे जाहिर नहीं कर सकते हैं कि वे शरणार्थी हैं या नहीं. उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लाखों-करोड़ों लोग नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे. धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आने वालों की स्पष्ट संख्या नहीं है। इस विधेयक को लेकर सरकार का यह दावा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारी संख्या में हिंदू इस देश में आए हैं. गृहमंत्री ने कई बार इसे लेकर दावा किया. हालांकि सरकारी आंकड़े उनके इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं.23 नवंबर 2016 को रिपुन बोरा ने राज्य सभा में पूछा कि 31 दिसम्बर, 2014 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से असम आने वाले बंगाली हिन्दुओं की कुल संख्या कितनी है.इस पर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से असम में आए बंगाली हिन्दुओं की संख्या के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं.इन सब के अलावा इस साल जनवरी में आई संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों आईबी एवं रॉ ने इस विधेयक को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी.आईबी के निदेशक ने समिति के सामने कहा था कि यह पहचानना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण आया है या नहीं. इसे साबित करना संभव नहीं है.आईबी निदेशक ने आगे कहा कि जिन लोगों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं, उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में साबित करना होगा. अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण में जाना होगा.नागरिकता संशोधन कानून में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है, जो भारत में शरण लेना चाहते हैं.इस प्रकार भेदभावपूर्ण होने के कारण इसकी आलोचना की जा रही है और इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है. अभी तक किसी को उसके धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने से मना नहीं किया गया है. *(द वायर 'हिन्दी')* ❑

तथ्यान्वेषण

भारत में एक भी डिटेन्शन सेंटर न होने का प्रधानमंत्री का दावा खोखला

विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की एक जनसभा में यह दावा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद से अब तक सरकार में एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है. हालांकि देश के राष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षामंत्री समेत उनकी पार्टी के विभिन्न नेताओं ने समय-समय पर कहा है कि देश भर में एनआरसी लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने भारत में डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्र) बनाए जाने और डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर केंद्र द्वारा विभिन्न राज्यों को भेजे गए दिशानिर्देशों को नकारते हुए यह भी कहा कि भारत में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं है. उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान हैं, उनसे नागरिकता कानून और एनआरसी, दोनों का कोई लेना देना नहीं है. देश के किसी मुसलमान को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है. हमें यह कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि प्रधानमंत्री का यह सार्वजनिक बयान सफेद झूठ है और किसी बुरे इरादे वाले नापाक खेल का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों की उनकी सरकार में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा, 'पहले ये तो देख लिजिए, एनआरसी पे कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हैं. मेरी सरकार आने के बाद, 2014 से आज तक, मैं ये सच 130 करोड़ लोगों के लिए कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है. कोई बात नहीं हुई है.'

हालांकि प्रधानमंत्री के दोनों दावों में सच्चाई नहीं है और ये तथ्यों की बुनियाद पर खरे नहीं उतरते हैं. संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कई बार बताया है कि असम में कई डिटेंशन सेंटर हैं और अन्य राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र ने दिशानिर्देश जारी किए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 2 जुलाई 2019 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि असम में इस समय कुल छह डिटेंशन सेंटर हैं. इन सेंटर्स में 25 जून 2019 तक कुल 1133 लोगों को रखा गया है, जिसमें से 769 लोग पिछले तीन सालों से रह रहे हैं. इन डिटेंशन सेंटर्स में 335 लोगों को पिछले तीन साल से भी ज्यादा समय से रखा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि 1985 से लेकर 28 फरवरी 2019 तक असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा 63,959 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है. मंत्री ने दावा किया कि डिटेंशन सेंटर में रह रहे सभी बंदियों को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा मुफ्त में कानूनी मदद मुहैया कराई जाती है.

उल्लेखनीय है कि ये छह डिटेंशन सेंटर असम के गोलपाड़ा, कोकराझार, सिल्चर, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर में है. इनमें महिला एवं पुरुष के अलावा बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा जाता है. गृह मंत्रालय द्वारा नौ अगस्त 2016 को लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक तीन अगस्त 2016 तक इन डिटेंशन सेंटर्स में कुल 28 बच्चों को रखा गया था. इसके अलावा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से लेकर 13 अक्टूबर 2019 तक कुल 28 बंदियों की मौत हो चुकी है. हालांकि सरकार ने सदन में ये जानकारी नहीं दी कि असम के अलावा अन्य राज्यों में कुल कितने डिटेंशन सेंटर हैं और उनमें कितने लोगों को रखा गया है. गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को राज्य सभा में बताया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे अवैध शरणार्थियों को डिटेंशन सेंटर में रखें.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर ये जानकारी इकट्ठा नहीं की जाती है कि राज्य सरकारों ने कुल कितने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं और उनमें कितने विदेशी नागरिकों को रखा गया है.

प्रधानमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार डिटेंशन सेंटर नहीं बना रही है. जबकि हकीकत ये है कि केंद्र सरकार ने काफी पहले ही विभिन्न राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 24 जुलाई 2019 को एक सवाल के जवाब में बताया कि विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए सरकार ने एक 'मॉडल डिटेंशन सेंटर मैनुअल' तैयार किया है और 9 जनवरी 2019 को इसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है. उन्होंने बताया कि मैनुअल में कैदियों के लिए बुनियादी मानवीय जरूरत वाली सुविधाओं को शामिल किया गया है. इसमें जनरेटर के साथ बिजली, पेयजल (वाटर कूलर सहित), स्वच्छता के लिए सुविधाएं तथा आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा बिस्तरों के साथ पर्याप्त शौचालय, स्नानघर, संचार सुविधाएं, रसोईघर के लिए प्रावधान, उचित जल निकासी और सीवेज सुविधाएं आदि हैं.

प्रधानमंत्री ने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात तो नकार दी, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से भी पता चलता है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत हो चुकी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवी मुंबई में 'अवैध प्रवासियों' के लिए महाराष्ट्र का ऐसा पहला हिरासत केंद्र बनेगा. राज्य के गृह विभाग ने सिडको (सिटी इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेशन) को लिखा भी है कि वह नवी मुंबई के पास नेरूल में 1.2 हेक्टेयर का प्लॉट उपलब्ध कराए, जहां उन्हें अस्थायी तौर पर रखा जा सके. एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि बेंगलूरू से लगभग चालीस किलोमीटर दूर नीलमंगल के सोन्डेकोप्पा में भी ऐसा एक हिरासत केंद्र बन रहा है. दस फीट उंची दीवारें, कंटीले तार और इर्द गिर्द बने वॉचटावर्स के चलते यह जगह जेल से कम नहीं दिखती. हालांकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी इस बात को खारिज करते हैं और इसके लिए एक नया नाम गढ़ते दिखते हैं कि वह हिरासत केंद्र नहीं है, बल्कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन सेंटर अर्थात गतिविधि सीमित रखने का केंद्र है. केंद्र सरकार ने 46.51 करोड़ रुपये की लागत से असम के गोलपाड़ा के मातिया में डिटेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी है. *(द वायर)* ❑

भारत के राष्ट्रपति के नाम सर्व सेवा संघ का ज्ञापन

नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी की प्रक्रिया के चलते देश भर में उठ रही प्रतिरोध की आवाजों का समर्थन करते हुए सर्व सेवा संघ के केन्द्रीय प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष महादेव विद्रोही के नेतृत्व में विगत 19 दिसंबर 2019 को देश के राष्ट्रपति को संबोधित यह मांग-पत्र जिलाधिकारी वर्धा, महाराष्ट्र के हाथ सौंपा। —सं.

सेवामें,

श्री रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति, भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली – 110004

विषय : भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तथा राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर रोक लगाने के संबंध में।

महामहिम,

हम आपका ध्यान राष्ट्रीय नागरिकता पंजी तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं -

1. करोड़ों रूपये खर्च करके असम में राष्ट्रीयता नागरिक पंजी बनायी गयी। अंतिम पंजी में पीढ़ियों से रह रहे 19,06,557 लोगों को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया गया है। विडंबना तो यह है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों को भारतीय माना गया है और कुछ लोगों को विदेशी।

2. दूसरी तरफ नये नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि कुछ पड़ोसी देशों के से कुछ खास धर्मों के लोग यदि अवैध रूप से प्रवेश करके भारत में सिर्फ 5 वर्ष पहले से भी रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जायेगी।

3. राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के नाम पर असम के 6 डिटेंशन कैम्पों में 25 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हो गयी है।

4. राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के नाम पर असम में जुल्म हुए, इसका एक ही उदाहरण देना काफी होगा। चिरांग जिले के विष्णुपुर-1 गांव से 59 वर्षीय मधुमाला मंडल नाम की महिला को असम पुलिस के बॉर्डर विंग ने गिरफ्तार किया। वह इतनी गरीब थी कि अपनी गिरफ्तारी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकी। जब इस गिरफ्तारी की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को हुई, तब उन्होंने इसे न्यायालय में चुनौती दिया। अंततः तीन वर्षों के बाद उसे निर्दोष घोषित करते हुए रिहा किया गया। पर तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पता नहीं इस तरह की कितनी ही मधुमाला मंडल डिटेंशन कैम्पों में यातनाएं सह रही होंगी।

5. नये नागरिकता अधिनियम को मुसलमानों से परहेज है। उसे चीन, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल जैसे देशों से भी परहेज है। इन देशों का कोई व्यक्ति नये कानून के तहत भारत में नागरिकता के लिये आवेदन नहीं कर सकता है।

6. भारत में लाखों की संख्या में दशकों से रह रहे चीन के बौद्ध शरणार्थी, जिसमें परमपूज्य **दलाई लामा** और निर्वासित तिब्बत सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री **श्री सामदोंग रिनपोछे** भी शामिल हैं, को नया अधिनियम नागरिकता के लायक नहीं मानता।

7. भारत में लाखों की संख्या में पड़ोसी देश नेपाल के लोग हैं। एक जमाने में नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बी.पी.कोइराला तथा गिरिजा प्रसाद कोइराला भी शरणार्थी के रूप में दशको तक भारत में रहे। अब नेपाल के लोग भारत में नागरिकता के पात्र नहीं है।

8. अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से बड़ी संख्या में राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार शिया, अहमदिया, सूफी तथा जीए सिंध के कार्यकर्ताओं आदि ने भारत में शरण ले रखी है। ये लोग सिर्फ इस कारण नागरिकता से वंचित रह जायेंगे क्योंकि वे मुसलमान हैं।

9. ये सारी बातें भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि यहां धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। पर नया अधिनियम खुलेआम इस भेदभाव को स्वीकार करता है।

10. अपने देश में करोड़ों रूपये खर्च करके आधार कार्ड बनाये गये, मतदाता पहचान पत्र बनाये गये। अब एनआरसी पर अरबों रुपये खर्च करना जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय मात्र है।

11. इस अधिनियम के खिलाफ सहज ही पूरे देश का घुस्सा फूट पड़ा है। युवाओं में विशेष आक्रोश है। इस अधिनियम का विरोध करने वाले कई नौनिहालों की पुलिस ने जान ले ली। बंदूक के बल पर जनता के आक्रोश को लम्बे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

12. भारत का संविधान सरकार की गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति देता है। यही तो लोकतंत्र की खासियत है। पर केन्द्र सरकार ने जिस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र-छात्राओं पर नृसंश प्रहार किये हैं, उसे देखकर जल्लाद के आंखों में भी आंसू आ जायेंगे।

13. इसी तरह का कानून 1906 में दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मूल के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।

11 सितम्बर 1906 को नागरिकता कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था –

''इस बिल के विरोध में सारे उपाय किये जाने के बावजूद यदि यह धारा सभा में पास हो जाये तो हिन्दुस्तानी उसके सामने हार न मानें और हार न मानने के फलस्वरुप जो दुःख भोगने पड़ें उन सबों को बहादुरी से सहन करें।''

14. भारतीय गणतंत्र के मुखिया होने के नाते आपसे सर्वोदय के सभी संगठन अपील करते हैं कि इस अधिनियम पर तुरत रोक लगायें तथा लोकतंत्र की हत्या होने से रोकें।

❑

धारावाहिक

बा और बापू
सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा

❑ गिरिराज किशोर

पहला गिरमिटिया जैसा चर्चित उपन्यास प्रस्तुत कर चुके गिरिराज किशोर ने अब बा पर कलम उठायी है। बा पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन था। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियां नहीं के बराबर हैं। 'पहला गिरमिटिया' की सामग्री जुटाने में उन्हें कोई दो हजार पुस्तकों से मदद मिली थी। और 'बा' उपन्यास लिखते समय मुश्किल से दो पुस्तकें सामने थीं। वे उन सब लोगों से मिले, जिन्हें कस्तूरबा के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी थी और उन जगहों पर गये, जहां बा ने थोड़ा या बहुत समय बिताया था। इस तरह बनी यह कथा, यह इतिहास बा के अलावा खुद बापू के दो और रूपों को भी सामने रखता है–पति और पिता का रूप। प्रस्तुत है 'बा' का अगला अंश, जो बा-बापू : 150 के अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। –सं.

महादेव की घटना बा के मन में गहरे पैठ गयी थी। एक दिन तबीयत खराब थी। चिढ़कर बापू से बोली, 'मैं कहती थी न, इतनी बड़ी हुकूमत से छेड़छाड़ न करो पर, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब उसका फल सबको भुगतना पड़ रहा है। सरकार की ताकत का कोई पार नहीं। वे लोगों को कुचल रहे हैं। बेचारे लोग कब तक सहेंगे? परिणाम क्या होगा?'

बापू ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, तर्क दिये। पर बा उस दिन समझने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। आखिर बापू बोले, 'चल, तू और मैं सरकार से माफी मांग लें।'

'मैं किसी से क्यों माफी मांगूं?'

'तू कहे तो मैं ही वाइसराय को माफी का पत्र लिख दूं?'

बापू का असम्मान बा किसी हालत में सह नहीं सकती थी। उनकी बात सुनकर तड़प उठी। बोली, 'सुकुमार बच्चियां जेलों में पड़ी हैं, जब वे माफी नहीं मांग रहीं, तो आप क्यों गोरों से माफी मांगेंगे? जब किया है तो, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप भी भोगेंगे और आपके साथ हम भी भोगेंगे। महादेव जेल में खत्म हो गया। अपने बच्चों को एक नजर देख भी नहीं सका। अब मेरी बारी है।' बापू चुपचाप सुनते रहे। जब बा नाराज होती थी, तो वे चुप लगा जाते थे।

बा देश की राजनीति के बारे में लगातार सोचती रहती थी। उसमें बापू की चिन्ता भी समाहित रहती थी। एक दिन बा ने बापू को सुझाव दिया, 'आप अंग्रेजों को देश छोड़कर चले जाने को क्यों कहते हैं? हमारा देश तो बहुत बड़ा है। उसमें सब समा सकते हैं। आप उनसे कहिये, वे यहां भाई बनकर रहें।'

'मैं यही तो कहता हूं कि आप हमारे भाई बनकर रहो, सरदार बनकर नहीं। वे अपनी सरदारी हटा लें तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। यह बात तो मैंने 1909 में हिन्द स्वराज में ही लिख दी थी।'

'सो तो ठीक है, हम अंग्रेजों को अपना सरदार बनाकर नहीं रख सकते। भाई बनो, खुशी-खुशी रहो।'

दूसरे दिन तेल मलवाते हुए बा शांत थी। सुशीला से बोली, 'सुशीला, अंग्रेज बहुत बदमाश हैं, सरदार बनकर रहना चाहते हैं। भारत को लूटना चाहते हैं। इसलिए बापूजी को और दूसरे सब नेताओं को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया है।' सुशीला चुपचाप सुन रही थी। बा को मालिश कराते हुए नींद आने लगती थी। वे ऊंघने लगीं।

3 मार्च को बापू का उपवास समाप्त हुआ। एक दिन पहले जनता के लिए महल का दरवाजा खोल दिया गया था। उपवास खुलने के बाद बापू की उबकाइयां और उल्टियां बंद हो गयी थीं। तबीयत स्थिर थी। कमजोरी के बावजूद चेहरे पर चेतनता थी। रामदास और देवदास को बापू से मिलने की अनुमति मिल गयी थी। बापू ने मना कर दिया था, अगर

जनता नहीं आ सकती तो बेटों को भी छूट न दी जाये। हालांकि बेटे बा के लिए टॉनिक थे। महल का द्वार बंद होने के बाद बा की शक्ति क्षीण होने लगी थी। जब तक बापू उपवास पर थे, बा अपनी संकल्प शक्ति से सक्रिय थी। शरीर भी साथ दे रहा था। अगर दिन में कोई आराम करने के लिए कहता था तो मना कर देती थी। बापू सुधरने लगे, बा गिरने लगी। चेहरे पर उदासी छा गयी।

16 मार्च को बा की सांस उखड़ गयी और दिल की धड़कन बढ़ गयी। दो घंटे यही स्थिति बनी रही। 25 मार्च को दूसरा दौरा पड़ा। वह चार घंटे चला। आगा खां महल कहां तो पहले बापू के लिए चिन्तित था, अब बा के लिए परेशान हो उठा। बाजी उलट गयी थी। बाहर अफवाह फैल गयी कि बा नहीं रही। सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक था। पहले बापू ने उन्हें देखने आने से बेटों को रोक दिया था। अब बापू को मानना पड़ा कि दोनों बेटे बा से मिलने आते रहें। बा से आकर मिलने का प्रतिबंध तो सरकार ने हटाया था पर अपनी दूर की संबंधी पंद्रह साल की मनु के महल में आने की जुगत स्वयं बा ने बैठायी। मनु की मां के न रहने पर वह तीन साल बा के साथ आश्रम में रह चुकी थी। वह मनु को अपनी पोती की तरह मानने लगी थी। बा के कहने पर सुशीला नैयर और बा को देख रहे डॉ. गिल्डर ने कर्नल भंडारी को लिखा कि कस्तूरबा को एक ऐसी सहायिका की आवश्यकता है, जो मनु की तरह बा की भाषा समझती हो और पूर्व परिचित हो।

कर्नल भंडारी बा से पहली बार मिले थे, तभी से उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता में गये, नागपुर जेल से मनु का स्थानांतरण महल में कर दिया। संयोग से मनु का स्थानांतरण उस समय हुआ, जब बा को ब्रांकल निमोनिया हुआ। उस लड़की ने जी-जान लगाकर बा की रात-दिन सेवा की। जल्दी ही बा संभल गयी और पहले की तरह महल में चक्कर लगाने लगी। बा हर किसी के पास जाती, उनके खाने-पीने के बारे में पूछती। रसोई पीछे वाले बरामदे में थी, वहां जाकर बैठती, खाना बनाने वाले से बतियाती रहती थी। बापू का भोजन स्वयं अपनी देखरेख में बनवाती थी।

बापू का स्वास्थ्य जैसे-जैसे सुधरता गया, वैसे-वैसे वे अपना समय सरकार से पत्र व्यवहार में लगाने लगे। बा नियमित रूप से रामायण पढ़ने लगी। या मनु सुना देती थी। धीरे-धीरे उसने बाल्मीकि रामायण और गीता सुनाकर पूरी कर दी।

बा जब से बीमार हुई थी, रामायण, गीता और भागवत कई बार सुन चुकी थी। धीरे-धीरे घरेलू खेलों में रुचि लेना शुरू कर दिया। एक गृहिणी का आधुनिक खेलों में रुचि लेना एक विचित्र बात थी, वह भी जेल में। वह जेल जरूर थी, परंतु परम्परागत जेल से भिन्न थी। कैदी भी अलग तरह के थे और हुक्मरान भी। सब मिलते-जुलते और साथ खेलते-कूदते थे। सुशीला, मीराबेन, डॉ. गिल्डर आदि बैडमिन्टन खेलते थे तो बा कुर्सी पर बैठकर देखती रहती थी। अच्छा शॉट लग जाता था तो ताली बजाती थी। अगर खेल में कोई गड़बड़ करता था तो समझ जाती थी और टोक देती थी। रात में मीराबेन और डॉ. गिल्डर कैरम खेलते थे। बा कैरम भी मन लगाकर देखती थी। उनको कैरम खेलना इतना भाया कि दोपहर में आधा घंटा स्वयं भी खेलने लगी। मीरा बेन कैरम खेलने में सबसे होशियार थी। बा मीराबेन की साथी बनती थी। जब मीराबेन जीतती थी तो बा को लगता, वही जीती है। अगर कभी वह हार जाती, तो दुखी हो जाती थी। स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया गया था कि बा को आखिरी खेल में जिताना ही चाहिए। बा को क्वीन लेने का बहुत शौक था। रानी को गिराकर बा बच्चों की तरह समझती थी कि वह जीत गयी। तब हार को भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। जीतकर अपना रोग और दुःख आदि भूल जाती थी। अंतिम बीमारी में जब बा स्वयं खेलने योग्य नहीं रही तो सब लोग उसके पलंग के पास बैठकर कैरम खेलते थे।

बा का अपना दुख कम करने का एक और ढंग था। बच्चों के साथ खेलना, खिलाना, पिलाना उन्होंने अच्छा लगता था। आश्रम में जो दो-चार बच्चे रहते थे, उनके साथ अपने को व्यस्त रखती थी। लेकिन जेल में बच्चे कहां से आते। एक बकरी ने महल में बच्चे दे दिये। मनु एक बच्चा उठा लायी। बा उसे गोद में ऐसे खिलाती रही जैसे आदमी का बच्चा हो। एकदम भूल गयी कि वह आदमी का नहीं, बकरी का बच्चा है। उससे बतियाती रही, 'भाई, तू दादी को न भूलना, रोज मेरे साथ खेलने आना।' कुछ दिन तक मनु रोज बच्चे को उठा लाती थी। बा उसके साथ बतियाती रहती थी। एक दिन उसने बा के कपड़े गंदे कर दिये। बा नाराज हो गयी। मनु ने बच्चे को लाना बंद कर दिया। बा ने स्वयं भी याद नहीं किया।

1942 में गोरी सरकार इतना डर गयी थी कि उसे लगने लगा था कि ये निहत्थे लोग उसे मिटा देंगे। सरकारी हुक्म आ गया कि कैदियों को अखबार न दिया जाये। पत्र लिखने और मिलने-जुलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सरोजनी नायडू की बेटी बीमार थी। उन्होंने सरकार से लिखकर पूछा कि उनकी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में समाचार उनके पास भेजे जायेंगे या नहीं?

बा को भी नाती-पोतों की चिन्ता बनी रहती थी। सभी के सामने यह समस्या थी। तीन हफ्ते बाद स्पष्टीकरण आया कि कैदी अपने संबंधियों को पत्र लिखकर सरकार को दे सकते हैं, वह उन्हें संबंधियों को भेजेगी। कपड़े वगैरह मंगाने के बारे में भी वही नियम लागू होंगे। सरोजनी ने पत्र लिखकर सरकार को दे दिया। मीरा बेन ने अपने साथियों को पत्र लिखने की इजाजत मांगी तो सरकार चुप लगा गयी। वह सात समुद्र पार से आयी थी, उसके साथी ही उसका परिवार थे। बापू ने उन शर्तों के विरोध में सरकार को अपने निर्णय से अवगत करा दिया कि वे किसी संबंधी को पत्र नहीं लिखेंगे।

सुशीला की भाभी की बेटी शल्य चिकित्सा से हुई थी। बच्ची के जन्म के एक सप्ताह के बाद भाभी नहीं रही। सुशीला को तार और चिट्ठी, भाभी के मरने के एक सप्ताह बाद साथ-साथ मिले। मरने से पहले वह सुशीला को याद करती हुई गयी थी। मां और भाई ने सुशीला को पैरोल पर छोड़ने के लिए लिखा। लेकिन सरकार ने पैरोल इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि वह गांधी जैसे कैदी के निकट थी। बा ने बापू से कहा, 'ऐसी हालत में सुशीला का अपनी मां के पास जाना जरूरी है।'

बापू ने हंसकर कहा, 'बता, तेरी देखभाल कौन करेगा?'

'मैं जानती हूं, मुझे कठिनाई होगी, मगर मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि एक मां के दुःख को न समझ सकूं।'

बा ने सुशीला से कहा, 'तुम अपनी माता जी और भाई को पत्र लिख दो।' सुशीला बापू के संग सरकार को लिख चुकी थी कि वह सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किसी संबंधी को पत्र नहीं लिखेगी। बा ने बापू से कहा कि वे सुशीला को समझायें कि अगर वह सरकार को पहले लिख चुकी है तो क्या हुआ। यह तो आकस्मिक विपदा है। उसका पहले से किसको पता होता है। पत्र लिखना जरूरी है। बापू के कहने पर उसने पत्र लिख दिया।

भाई मोहनलाल का पत्र आया कि मां बीमार रहती है। ऐसे में उसके लिए नवजात बच्ची को पालना कठिन होता जा रहा है।

बापू ने बा से पूछा, 'बच्ची को यहां बुला लें, तू संभाल लेगी?'

'मैं स्वयं बीमार रहती हूं। सरकार बुलाने की इजाजत दे देगी तो जो पड़ेगा, जरूर करूंगी।'

बापू ने सरकार को दोनों विकल्पों के बारे में लिखा। सुशीला को या तो पैरोल दो या बिन मां की भतीजी को जेल में रखने की सुशीला को अनुमति दो। सरकार का उत्तर था, दोनों प्रस्ताव सरकार को अमान्य हैं।

...क्रमशः अगले अंक में

सियाचिन में जवानों को नहीं मिल रहा पेट भर खाना : कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से पता चला है कि सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के पास स्नो ग्लासेस और मल्टीपर्पज जूते नहीं हैं. उनके पास जरूरी भोजन भी उपलब्ध नहीं है. इन इलाकों में बेहद ठंड की वजह से जवानों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है. सियाचिन और लद्दाख जैसे जोखिम भरे इलाकों में तैनात जवानों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कैग की रक्षा-सेवा और सेना से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, सियाचीन और लद्दाख जैसी मुश्किल पोस्ट्स पर तैनात जवानों की बुनियादी जरूरतों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के जवानों को भोजन की जितनी दैनिक मात्रा की जरूरत होती है, उतनी उन्हें नहीं मिल रही है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जवानों की कैलोरी इनटेक में भी कमी है. जवानों को जो खाना मिल रहा है, उसमें कैलोरी इनटेक 82 फीसदी है. इसके अलावा स्नो ग्लासेस में 62 फीसदी से 98 फीसदी की कमी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जवानों को पुराने मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग्स दिए जा रहे हैं. उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों से महरूम रखा जा रहा है.

रक्षा प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) की कमी के कारण उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है. इसके अलावा, ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए उनकी दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष राशन की व्यवस्था है लेकिन इसकी कमी पड़ जाती है. इससे जवानों की कैलोरी इनटेक से समझौता किया जा रहा है. कैग की यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई थी, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं रखा जा सका.

लोक-विमर्श

हम किधर जा रहे हैं?

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस 14 नवंबर 2019 को ट्विटर पर 'ठरकी दिवस' का हैश टैग ट्रेंड करता रहा, जबकि अब तक संपूर्ण देश में यह 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता रहा है। नेहरू को तो हम सब लोग बचपन से ही पर्याप्त पढ़ते, समझते और जानते रहे हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों होने दिया गया?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर पर 'गोडसे अमर रहे' के नारे लगाये जाते रहे। यही नहीं, अब तो बापू के हत्यारे की पुण्यतिथि भी मनायी जाने लगी है। गांधी को तो हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है, मानती है। तब फिर इस समाज में उनके हत्यारे का महिमामंडन क्यों हो रहा है? गांधी के नाम की कसम खाने वाले और उनकी 150वीं जयंती धूमधाम से मनाने का स्वांग भरने वाली सरकार इस संबंध में क्या कर रही है, यह जानने की रुचि किसको है?

इन सबका मतलब यह निकलता है कि आजादी के बाद हमने जो समाज बनाया, उसने 'महान' लोगों के कहे-लिखे को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। उन्हें सुना नहीं, पढ़ा नहीं, गुना नहीं। इसके विपरीत आज हमारे समाज में संदिग्ध किंवदंतियों का छिपा होना एक अतिरिक्त लक्षण है। जिस समाज का मनुष्य अपढ़ हो, आलसी हो, वहां विवेक फलता-फूलता नहीं है। ज्ञान-विज्ञान उसे दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। इसीलिए देश के मुखिया 'साइंस कांग्रेस' में जब इंसान को हाथी की सूंड़ लगाने को विश्व में पहली सर्जरी बताते हैं, तो जनता वाह-वाह करती है। जब वे बादलों में राडार को छुपा लेते हैं, तो लोग अभिनंदन करते हैं। जहां किंवदंतियों के आधार पर महान बनाना ही राष्ट्रीय धर्म हो, वहां अन्य किसी महानता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? समझ में नहीं आता कि हमारा भारतीय समाज अज्ञानता, तर्कहीनता, मूर्खता, आलस्य, अहंकार और महत्त्वकांक्षा के इस अंधेरे गड्ढे में स्वेच्छा से क्यों जा रहा है?

–किशनगिरि गोस्वामी

महामहिम की महामाया

महामहिम, चाहे दिल्ली के हों या राज्यों के, वे देश व प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। वे परम आदरणीय भी हैं। लेकिन इस सम्मान के अनुरूप ही उनका कर्तव्य भी होता है। अगर अपने गुरुतर कर्तव्य से वे चूकते हैं, तो देशवासी तिलमिला उठते हैं। उनके सामने बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि अब वे कहां जायें, किससे फरियाद करें? नवंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने हड़बड़ी में बड़ी होशियारी दिखलाने का दुस्साहस किया। देश कांप उठा। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाना स्वाभाविक है। खिल्ली केवल कोश्यारी जी की ही नहीं उड़ी, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आदि सम्मानित जनों की भी उड़ी। भारत के लोकतंत्र का विद्रूप देखकर देश का प्रबुद्ध वर्ग चिन्तित हो उठा। ऐसे में देश के कलमकारों को एक कवि का उलाहना कुरेदने लगा—

धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे।
कलम के सिपाही अगर सो गये तो,
वतन के मसीहा वतन बेच देंगे।

कलमकार भटके राजनीतिज्ञों को रोक तो नहीं सकते, पर टोक अवश्य सकते हैं। महामहिम किसी भी दल में जन्मे, पले, बढ़े हों, वे गुरुतर शासन ग्रहण करने के बाद निर्दल, निर्विवाद और सब के माने जाते हैं। हालांकि उनके दल वाले उन्हें दलदल में डालना चाहते हैं, उनको रबर स्टाम्प बनाकर रखना चाहते हैं। जो उनमें विवेकवान हैं, चरित्रवान हैं, जिनकी अंतरात्मा की आवाज अभी बाकी है, वह दागदार होने से बचने में अपनी चतुराई लगाने में अगर हिचक जाते हैं, तो इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में दर्ज करा लेते हैं।

हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि इधर 6-7 सालों से अनपेक्षित दृश्य ही देखने को मिल रहे हैं, देश सवाल उठा रहा है लेकिन तथाकथित राष्ट्रभक्त 'असहमति' को 'राष्ट्रद्रोह' कहकर डराने और बोलती बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि सौ बार बोला गया झूठ सच हो जायेगा। लेकिन नहीं, सच परेशान हो सकता है परास्त नहीं। हम देश के महामहिमों को विनम्रता से उनका गुरुतर दायित्व याद दिलाना चाहते हैं ताकि महाराष्ट्र जैसा कांड देश में कभी भी कहीं भी आगे न हो पाये।

–तेजनारायण

सीएए तथा एनसीआर पर मुंबई सर्वोदय मंडल का नजरिया :

मुम्बई सर्वोदय मंडल इस नये कानून को धर्मनिरपेक्षता और संविधान को खत्म करने, देश को तबाह करने तथा समाज में दरार पैदा करने वाली योजना मानता है। ये दोनों कदम भारतीयता की परंपरा एवं संस्कृति, मानवीय राष्ट्रबोध, सर्वसमभावी स्वाभाविक नागरिकता का उल्लंघन करते हैं।

भाजपा सरकार के इन दोनों देशविरोधी कदमों के प्रतिवाद में उभर रहे व्यापक नागरिक अभियान का हिस्सा बनने तथा उसे ज्यादा व्यापक और सशक्त बनाने का सर्वोदय मंडल निश्चय व्यक्त करता है। प्रतिवाद के प्रथम कदम के तौर पर मंडल केन्द्र सरकार से माँग करता है कि वह सीएए को वापस ले या उसमें दर्ज धर्मों का पक्षपाती उल्लेख हटाये तथा एनआरसी की विनाशकारी प्रक्रिया चलाने का इरादा छोड़े। इसके साथ ही मंडल इन दोनों कदमों के खिलाफ स्वतः उमड़े उद्वेलनों को जान-माल पर हमलों से बचने तथा बचाने की दिशा में पूरी तरह सचेत रहने की अपील करता है। मानवीय नागरिता की रक्षा का कोई भी अभियान आम नागरिकों को जोखिम में डालकर, नागरिक सुविधाओं को अस्त-व्यस्त कर विश्वसनीय और प्रभावशाली नहीं हो सकता।

सर्वोदय मंडल अशफाकुल्ला खाँ और रामप्रसाद बिस्मिल की साझी शहादत की तारीख 19 दिसम्बर को व्यापक साझा में आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम साझेदार है तथा अपने कार्यक्षेत्रों में सक्रिय भाग लेगा।

–जयंत दिवाण

नागरिकता कानून के खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन :

भारत में नये नागरिकता कानून के विरोध की आंच विदेशों में भी महसूस की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारतीय काउन्सलेट जनरल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध में शामिल लोगों ने कहा कि इस नये कानून के जरिये भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ऐसे में हम भारत में इस कानून का विरोध कर रहे लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं। फातिमा लहर ने कहा कि हम भारतीय युवाओं को देख रहे हैं, जो अपने देश में संघर्ष के रास्ते पर हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक विद्यार्थी रूप में हम इस आंदोलन की भावना से खुद को जुड़ा हुआ पा रहे हैं। जोहानिसबर्ग में मीडिया रिव्यू नेटवर्क से जुड़े इकबाल जस्सत ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के नागरिक समाज के तौर पर हमें इस बात की खुशी है कि भारत के नौजवान न केवल अपने देश की सरकार की नीतियों के विरोध में है, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इकबाल जस्सत ने दक्षिण अफ्रीका के शासक दल अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से अपील की कि वह इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़े और अपना स्टैंड स्पष्ट करे। वक्ताओं ने कहा कि हम दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरलेज रामाफोसा के मौन से चिन्तित हैं।

भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन स्वीकार करने से इनकार दिया। वक्ताओं ने कहा कि हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि इससे भारतीय सत्ता का अहंकार व तिरस्कार प्रकट होता है। वक्ताओं ने भारत की शांति और सहिष्णु परम्परा का आह्वान भी किया।

जन-स्वाध्याय अभियान :

उन्नाव शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र के सविता इंटर कालेज में, जन स्वाध्याय अभियान - उ. प्र. सर्वोदय मण्डल द्वारा आयोजित गांधी चर्चा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ. चर्चा में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष- रघुराज सिंह 'मगन' और जिला सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं गांधीवादी- रामशंकर भाई ने बच्चों से गांधी सम्बंधी प्रश्न किए और बच्चों के प्रश्नों के समुचित जबाब भी दिए. बच्चों ने जानना चाहा कि - क्या गांधी जी भारत विभाजन के जिम्मेदार थे? क्या गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी? गोडसे ने सन 1944 मे गांधी पर हमला क्यो किया था ?पूना पैक्ट कब और क्यों हुआ था? गांधी जी ने हरिजन यात्रा क्यों की थी? विभाजन के समय भारत की कुल नगद राशि कितनी थी और पाकिस्तान को कितनी राशि दी गयी?

चर्चा के बाद गांधी ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन हुआ,जिसमें बच्चों ने सहर्ष भाग लिया. इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य - राम औतार कुशवाहा, कालेज के प्रधानाचार्य अनुज कुमार तथा शिक्षक योगेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकान्त, नीरजकुमार व अरविंद शुक्ला मौजूद रहे.

–संजीव श्रीवास्तव

मानवाधिकार की चुनौतियां विषयक संगोष्ठी सम्पन्न :

'मानवाधिकार की चुनौतियां' विषय पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन पीयूसीएल सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष डॉ. आनन्द किशोर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संगोष्ठी मे बड़ी संख्या मे शिक्षाविद, अधिवक्ता, शिक्षक प्रतिनिधि,ट्रेड यूनियन लीडर तथा जवानों ने भाग लिया। विषय प्रवेश कराते हुए डा आनन्द किशोर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की 30सूत्री सार्वभौम घोषणा सहित भारत मे मानवाधिकार आयोग के गठन पर चर्चा की तथा कहा कि आज की परिस्थितियों में भारत में मानवाधिकार की चुनौतियां ज्यादा बढ गई है। उन्होंने बढ़ती आर्थिक गैरबराबरी, बढ़ते महिला तथा दलित अत्याचार सहित एन आर सी व नागरिकता संशोधन बिल की चर्चा करते हुए संविधान की मूल भावना से छेड़-छाड़ तथा हैदराबाद घटना में पुलिस द्वारा स्वयं न्याय करने जैसे मुद्दों पर मानवाधिकार के समक्ष बढ़ती चुनौतियों का जिक्र किया तथा समाज को इस चुनौती के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत बताई।

प्रमुख वक्ता प्रो सुजय कुमार तथा साहित्यकार विमल कुमार परिमल ने मानवाधिकार के प्रति अज्ञानता को सबसे बडी चुनौती बताते हुए स्कूल-कालेजों में मानवाधिकार के प्रचार- प्रसार की जरूरत के साथ छात्रों में सवाल पूछने की प्रवृत्ति के विकास की जरूरत बताई। शिक्षक नेता जितेन्द्र कुमार माधव ने पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार को जोड़ने की मांग उठाई। गांधीवादी चिंतक प्रमोद कुमार मिश्रा ने झूठे आरोपों में गिरफ्तार पीयूसीएल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधा भारद्वाज सहित देश के प्रसिद्ध शिक्षक तथा मानवाधिकारवादियो को रिहा करने का सवाल उठाया।

संगोष्ठी में मानवाधिकार के संबंध में जन-जन तक मीडिया तथा सरकारी माध्यमों से व्यापक प्रचार -प्रसार कराने ,राज्य आयोग को सशक्त बनाने तथा जिला स्तर पर मानवाधिकार आयोग के विस्तार की सरकार से मांग की गई। धन्यवाद ज्ञापन पीयूसीएल के साथी मुहम्मद गयासुद्दीन ने किया। **–आनन्द किशोर**

कविता

गांधी
नये सुभाषित

❑ रामधारी सिंह 'दिनकर'

(1)
छिपा दिया है राजनीति ने बापू! तुमको,
लोग समझते यही कि तुम चरखा-तकली हो।
नहीं जानते वे, विकास की पीड़ाओं से
वसुधा ने हो विकल तुम्हें उत्पन्न किया था।

(2)
कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के?
वे मनुज से मात्र इतनी बात कहते थे,
रेल, मोटर या कि पुष्पक-यान,
चाहे जो रचो,
पर,
सोच लो, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है।

(3)
सत्य की संपूर्णता देती न दिखलाई किसी को,
हम जिसे हैं देखते,
वह सत्य का बस एक पहलू है।
सत्य का प्रेमी भला तब
किस भरोसे पर कहे यह
मैं सही हूँ और सब जन झूठ हैं?

(4)
चलने दो मन में अपार शंकाओं को तुम,
निज मत का कर पक्षपात उनको मत काटो।
क्योंकि कौन हैं सत्य, कौन झूठे विचार हैं,
अब तक इसका भेद न कोई जान सका है।

(5)
सत्य है सापेक्ष्य, कोई भी नहीं यह जानता है,
सत्य का निर्णीत अन्तिम रूप क्या है?
इसलिए,
आदमी जब सत्य के पथ पर कदम धरता,
वह उसी दिन से दुराग्रह छोड़ देता है।

(6)
हम नहीं मारें, न दें गाली किसी को,
मत कभी समझो कि इतना ही अलम है।
बुद्धि की हिंसा, कलुष है,
क्रूरता है कृत्य वह भी
जब कभी हो क्रुद्ध चिंतन के धरातल पर
हम विपक्षी के मतों पर वार करते हैं।

(7)
शान्ति-सिद्धि का तेज तुम्हारे तन में है,

खड्ग न बाँहों को न जीभ को व्याल करो।
इससे भी ऊपर रहस्य कुछ मन में है,
चिंतन करते समय न दृग को लाल करो।

(8)
तुम बहस में लाल कर लेते दृगों को,
शान्ति की यह साधना निश्छल नहीं है।
शान्ति को वे खाक देंगे जन्म जिनकी
जीभ संकोची, हृदय शीतल नहीं है।

(9)
काम हैं जितने जरूरी, सब प्रमुख हैं,
तुच्छ इसको औ' उसे क्यों श्रेष्ठ कहते हो?
मैं समझता हूँ कि रण स्वाधीनता का
और आलू छीलना, दोनों बराबर हैं।

(10)
लो शोणित, कुछ नहीं अगर
यह आँसू और पसीना,
सपने ही जब धधक उठें तब
क्या धरती पर जीना?
सुखी रहो, दे सका नहीं मैं जो कुछ
रो-समझा कर,
मिले तुम्हें वह कभी भाइयों-बहनों!
मुझे गँवा कर।

(11)
जो कुछ था देय, दिया तुमने, सब लेकर भी
हम हाथ पसारे हुए खड़े हैं आशा में;
लेकिन, छींटों के आगे जीभ नहीं खुलती,
बेबसी बोलती है आँसू की भाषा में।
वसुधा को सागर से निकाल बाहर लाये,
किरणों का बन्धन काट उन्हें उन्मुक्त किया,
आँसुओं-पसीनों से न आग जब बुझ पायी,
बापू! तुमने आखिर को अपना रक्त दिया।

(12)
बापू! तुमने होम किया जिसके निमित्त अपने को,
अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को।
क्षमा, शान्ति, निर्भीक प्रेम को शतशः
प्यार हमारा,
उगा गये तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा।
निखिल विश्व के शान्ति-यज्ञ में
निर्भय हमीं लगेंगे,
आयेगा आकाश हाथ में, सारी रात जगेंगे।

(13)
बड़े-बड़े जो वृक्ष तुम्हारे उपवन में थे,
बापू! अब वे उतने बड़े नहीं लगते हैं;
सभी ठूँठ हो गये और कुछ ऐसे भी हैं
जो अपनी स्थितियों में खड़े नहीं लगते हैं।

(14)
कुर्ता-टोपी फेंक कमर में भले बाँध लो
पाँच हाथ की धोती घुटनों से ऊपर तक,
अथवा गाँधी बनने के आकुल प्रयास में
आगे के दो दाँत डाक्टर से तुड़वा लो।
पर, इतने से मूर्तिमान गाँधीत्व न होता,
यह तो गाँधी का विरूपतम व्यंग्य-चित्र है।
गाँधी तब तक नहीं, प्राण में बहने वाला
वायु न जबतक गंध मुक्त, सबसे अलिप्त है।
गाँधी तब तक नहीं, तुम्हारा शोणित जब तक
नहीं शुद्ध गैरेय, सभी के सदृश लाल है।

(15)
स्थान में संघर्ष हो तो क्षुद्रता भी जीतती है,
पर, समय के युद्ध में वह हार जाती है।
जीत ले दिक में 'जिना', पर, अन्त में बापू!
तुम्हारी जीत होगी काल के चौड़े अखाड़े में।

(16)
एक देश में बाँध संकुचित करो न इसको,
गाँधी का कर्तव्य-क्षेत्र दिक नहीं, काल है।
गाँधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की,
गाँधी मानवता का अगला उद्विकास हैं। ❑

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

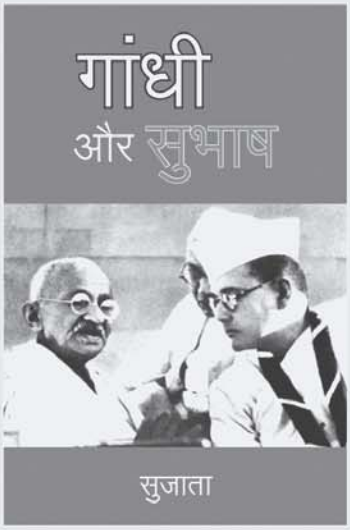

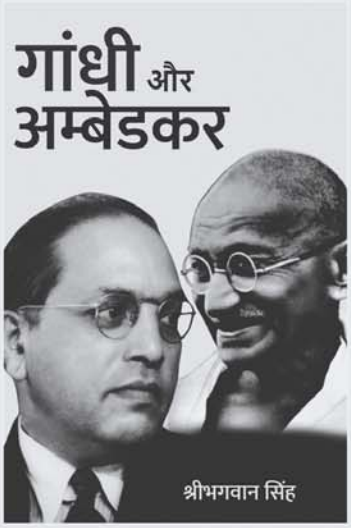

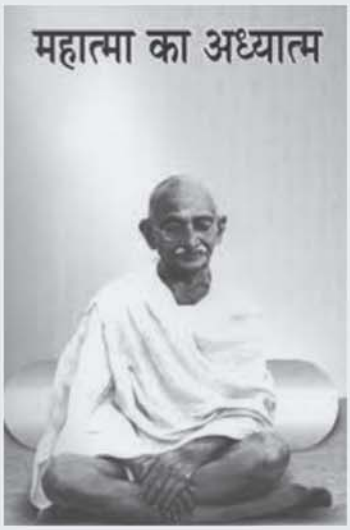

आज के राजनीतिक एवं सामाजिक माहौल को देखें, तो विचारों की भिन्नता को एक-दूसरे का विरोध मान लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। छिद्रान्वेषण को गुण मान लिया गया है और गुणग्राही होना दुर्लभ होता जा रहा है। गांधी विचार की विरासत पूरे विश्व के लिए है, उसकी प्रासंगिकता जीवन के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। क्योंकि यह विचार सार्वभौम और अक्षय है। जो इस विचार के धुर विरोधी हैं, उनके हमले व्यक्तिपरक होते हैं। यह कट्टरतावाद का एकमात्र अवशिष्ट हथियार है। घृणा के हथौड़े से व्यक्तियों को मिटाया जा सकता है, मूर्तियों का भंजन हो सकता है, लेकिन विचारों की शुभता अनछुई रह जाती है।

लोग अक्सर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि गांधी बड़े थे या अम्बेडकर? सुभाष सही थे या गांधी? गांधी का रास्ता ठीक था या भगत सिंह का? इन पुस्तकों में इन्हीं सवालों की विवेचना है। स्वाभाविक है कि लोग अपने निजी रुझानों एवं वैचारिक आग्रहों के अनुसार अपने-अपने आराध्यों को शीर्ष स्थान प्रदान करते हैं। हमने ऐसी किसी भी कोशिश से जान-बूझकर किनारा कर लिया है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना हमारे सामर्थ्य एवं दायित्व के दायरे से परे है। इस प्रश्न का जवाब वही दे सकता है, जो गांधी, सुभाष, भगत सिंह और अम्बेडकर इन सबसे बड़ा हो; वही सही नाप-तौल, हिसाब-किताब करके कुछ बता सकता है।

समाजशास्त्री या इतिहासकार व्यक्तियों के योगदान का विश्लेषण करते हैं, कर सकते हैं; वह भी तटस्थ होकर। हर व्यक्ति एक-दूसरे से जुदा होता है, इसलिए अद्वितीय होता है। इसीलिए उनकी भूमिकाएं और योगदान समान उद्देश्य के बावजूद भिन्न भी हो सकते हैं।

समाज में सकारात्मक योगदान करने वालों के बीच नकारात्मक प्रतिद्वंद्विता से प्रगतिशील धारा को खासा नुकसान हुआ है। इतिहास के प्रसंगों के विश्लेषण के आधार पर समान उद्देश्य वालों में बिखराव व लगाव न तो सामयिक है और न ही समझदारी का प्रतीक। गांधी, अम्बेडकर, सुभाष, भगत सिंह—इन सभी ने दुनिया को बेहतर बनाने के सपने देखे थे, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। इसी चाहत ने हमें 'विरोध के कील' देखने के बजाय 'सामंजस्य के सूत्र' तलाशने को प्रेरित किया है। ये पुस्तकें इसी संधान की कोशिश है। आशा है, आप भी इन्हें पसंद करेंगे। ये पुस्तकें एक साथ लेने पर नियमानुसार छूट की व्यवस्था भी है। अपना क्रयादेश सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-221001 के नाम भेजें। www.sssprakashan.com पर ऑनलाइन आर्डर भी कर सकते हैं। फोन नं. 0542-2440385 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

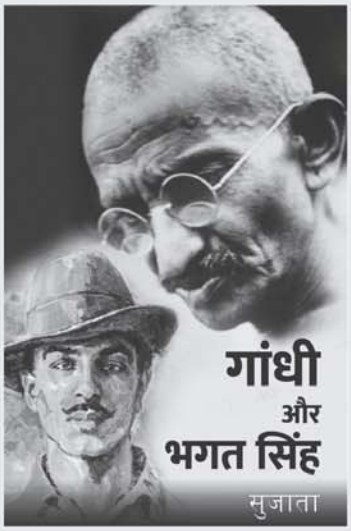

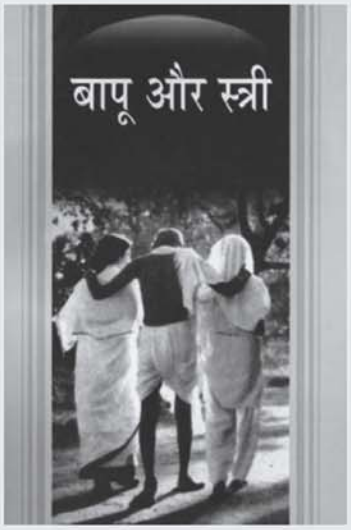

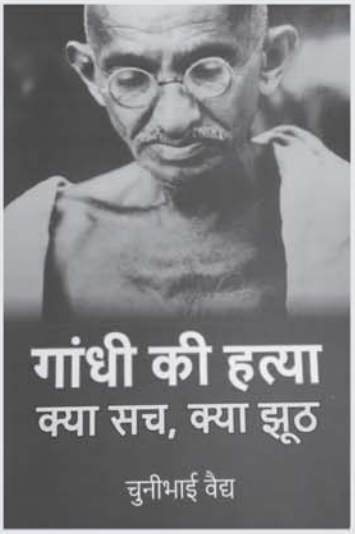

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए प्रकाशक अरविन्द अंजुम द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार।